वर्ष 2016-2017

प्रमिलांचल

राजभाषा

द्वितीय अंक

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड
राँची, झारखण्ड

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आदरणीय श्री शशि कान्त शर्मा द्वारा ए.जी. कॉलोनी, राँची का निरीक्षण

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) श्री एच. प्रदीप राव का एनएबी, राँची कार्यालय में आगमन

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) श्री एच. प्रदीप राव द्वारा मेकॉन भवन स्थित एनएबी, राँची कार्यालय के सभा कक्ष का उद्घाटन

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) श्री एच. प्रदीप की एनएबी, राँची कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक

द्वितीय अंक 2016-2017

प्रमिलांचल

राजभाषा

स्वत्वाधिकार	:	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, राँची।
प्रकाशन	:	'प्रमिलांचल' हिंदी पत्रिका
प्रकाशक	:	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, राँची।
अंक	:	द्वितीय अंक
मूल्य	:	राजभाषा के प्रति समर्पण
वितरण	:	प्रशासन अनुभाग

रचनाकारों के विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाकारों के विचार उनके निजी विचार हैं।

– संपादक मण्डल

प्रमिलांचल

राजभाषा

द्वितीय अंक

पत्रिका परिवार

संरक्षक

श्री सुशील कुमार जायसवाल

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, राँची

प्रधान संपादक

श्री सी.डी. रामन — उप निदेशक (मुख्यालय एवं प्रशासन)

संपादक मंडल

श्री मदन कुमार सिंह — व. लेखापरीक्षा अधिकारी

श्री कौशल किशोर वर्मा — स. लेखापरीक्षा अधिकारी

श्री शैलेन्द्र कुमार — हिंदी अनुवादक

प्रमिलांचल शब्द का उदगम प्रमिला शब्द से है जिसके यूं तो अनेकों अर्थ हैं परन्तु अंक विज्ञान के अनुसार प्रमिला विचार और ख्याल है। प्रमिला सत्य की खोज है और ज्ञान की तलाश है। यह तर्क और न्याय है। यह आदर्श व आध्यात्म है। प्रमिला आत्मपरीक्षण भी है और आत्मदर्शन भी।

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड

संरक्षक का संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता व गौरव की बात है कि प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, रांची द्वारा राजभाषा हिंदी की पत्रिका 'प्रमिलांचल' का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

राजभाषा हिंदी के उतरोत्तर प्रचार प्रसार में 'प्रमिलांचल' पत्रिका के सराहनीय प्रयास को निरंतर बनाये रखने के लिए सबसे पहले हमारी ओर से सभी संपादक मंडल एवं लेखकों को हार्दिक बधाई जिन्होंने राजभाषा के फुलवारी की क्यारियों को गुलज़ार रखने में अपना सार्थक प्रयास किया। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह पत्रिका राजभाषा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी तथा यह साहित्यिक प्रतिभाओं को समाज में बढ़ावा देने में एक उत्कृष्ट भूमिका निभायेगी।

मै प्रमिलांचल से जुड़े प्रत्येक सदस्य को पुनः बधाई देता हूँ एवं इस समृद्ध पत्रिका के सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।

आपका शुभेच्छु
सुशील कुमार जायसवाल
प्रधान निदेशक

विषय सूची

क्रम सं	शीर्षक	सुश्री/श्री	पृष्ठ संख्या
1.	एक और सफल वर्ष 2015-16	नरेन्द्र कुमार	1-2
2.	मैं ऑडिट हूँ	शैलेंद्र कुमार	3-5
3.	राउरकेला, एक दृश्य	शैलेंद्र कुमार	6-7
4.	तुम्हारी कोख में	सुनील कुमार साव	8-9
5.	हिंदी की कहानी	शैलेंद्र कुमार	10-11
6.	वक्त हमारा है	चन्दन कुमार	12
7.	क्योंकि आज तुम याद आ गई	शैलेंद कुमार	13-14
8.	आपबीती कहानी	बैरिस्टर राम	15-17
9.	भारतीय किसान	नवीन कुमार नवीन	18
10.	गरीबी	बैरिस्टर राम	19
11.	तुमसे मिल के	संजीव कुमार	20
12.	ऐसा भी होता है	दीपक कुमार	21
13.	टूटे हुए जज्बात	संजीव कुमार	22
14.	तीसरी कसम	बैरिस्टर राम	23-25
15.	सिमटते परिवार	संजीव कुमार	26
16.	सच्ची मैत्री	बैरिस्टर राम	27
17.	आक्षेप	राजुल कुमार दत्ता	28
18.	मेरा गाँव	जितेंद्र कुमार वर्मा	29
19.	प्रेशर का जोर	राजुल कुमार दत्ता	30-31
20.	बचा ही क्या है	संजीव कुमार	32
21.	दार्जिलिंग	बी. निधि	33
22.	भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार	ऋचा पल्लवी	34-35
23.	संघ की राजभाषा		36-38
24.	सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग		39
25.	सेवा निवृत्ति		40
26.	वर्ष 2015 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों की सूची		41

कृपया इनका अनुसरण करें

(क) टिप्पणियाँ हिंदी में लिखिए।

(ख) मसौदे हिंदी में तैयार कीजिए।

(ग) शब्दों के लिए अटकिये नहीं।

(घ) अशुद्धियों से घबराइये नहीं।

(ड.) अभ्यास अविलम्ब आरंभ कीजिए।

सी.डी. रामन
उप निदेशक (मुख्यालय एवं प्रशासन)

उप निदेशक (मुख्यालय एवं प्रशासन), कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड

संपादकीय

मुझे गर्व महसूस होता है कि पिछले वर्ष से आरंभ की गई परंपरा भविष्य का साहित्यिक धरोहर बनने को उतारु है। इस परंपरा से हमारे कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण का राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि के साथ-साथ उनके मनोभाव भी व्यक्त होते है जो मानवीय मूल्यों का सूचक है।

मैं अपनी ओर से 'प्रमिलांचल' की सफलता की कामना करता हूँ। साथ ही पाठकों के विचार व प्रतिक्रिया भी आमंत्रित करता हूँ।

आपका स्नेही
सी.डी. रामन
उप निदेशक (मुख्यालय एवं प्रशासन)

एक और सफल वर्ष 2015-16

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, राँची द्वारा 19 कम्पनियाँ, 4 स्वायत इकाईयों (Autonomous Bodies) एवं 2 वैधानिक इकाईयों (Statutory Corporation) के लेखापरीक्षा का कार्य किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 12 अन्य कम्पनियों के लेखापरीक्षा का कार्य इस कार्यालय को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा सौंपा गया। साथ ही कुछ अन्य कंपनियों की 25 इकाईयों का कार्य उप लेखापरीक्षक (Sub Auditor) के रूप में इस कार्यालय को सौंपा गया है।

वर्ष 2015-16 हमारे कार्यालय के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपलब्धियों भरा रहा। इस वर्ष हमारे कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षण से संबंधित निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य किए गए।

1. निष्पादन लेखापरीक्षा (Performance Audit)

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया लिमिटेड (SAIL) द्वारा करीब 70,000 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर इस कम्पनी के छः स्टील प्लांटो में आधुनीकीकरण एवं विस्तार की परियोजना (Modernisation and Expansion Plan) पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (Performance Audit) किया गया। यह एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमारे प्रधान निदेशक महोदय के मार्ग निर्देशन और गहन रुचि से यह कार्य सफलता पूर्वक पूरा किया गया और यह नियंत्रक महालेखापरीक्षक (C&AG) ऑडिट रिपोर्ट (2015 के सं. 23) में सम्मिलित होकर यह रिपोर्ट 2015 के मानसून सत्र में संसद के पटल पर रखा गया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुख्यतः एम.ई.पी. (Modernisation and Expansion Plan) को नियोजित समय सीमा में कार्यान्वित नहीं कर पाना, लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात क्षमता में वृद्धि न होना एवं परियोजना नियोजन, निविदा निर्धारण, परियोजना निष्पादन और एम.ई.पी. कार्यान्वयन की देखरेख (monitoring), परियोजना प्रबंधन चक्र के सभी स्तरों पर और सभी संयंत्रों में अप्रभावित होना दर्शाया गया है।

2. थीमेटिक लेखापरीक्षा (Thematic Audit)

वर्ष 2015-16 में इस कार्यालय द्वारा किए गए निम्नलिखित दो थीमेटिक ऑडिट रिपोर्ट को नियंत्रक महालेखापरीक्षक (C&AG) के ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किया।

(क) Thematic draft para on 'Marketing Activities in SAIL'

इस रिपोर्ट में SAIL के आधुनिकीकरण में विलम्ब के चलते मार्केट शेयर में भारी गिरावट, सक्रीय डीलरशीप के होने की वजह से खुदरा बिक्री (sale) का बुरी तरह प्रभावित होना, कम्पनी के ब्राड नाम एवं उत्पादों का प्राइवेट कनवर्सन एजेन्ट्स एवं बेट लीजींग एजेन्ट द्वारा इस्तेमाल करना, कम्पनी द्वारा बिक्री पर भारी छूट देने के बावजूद विक्रय रीयलाइजेशन कम होना आदि खामियों को उजागर किया गया है।

(ख) Thematic Audit on 'Execution of jobs in HSCL'

इस थीमेटीक audit में HSCL द्वारा ठेके के दौरान पायी गयी अनियमितता बड़े contracts को छोटे छोटे contracts में split करना, ठेकेदारों द्वारा निष्पादन बैंक गारन्टी जमा करने में हुई देरी, कम्पनी के द्वारा Centage fee वसूली करने में हुए

विलम्ब इत्यादि के कारण हुई हानि को मुख्य रुप से दर्शाया गया है।

3. ड्राफ्ट पारा (Draft Para)

इस वर्ष चार ड्राफ्ट पारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (C&AG) ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित किये गए। इनमें से एक पैरा SAIL से संबंधित था जिसमें हमने कम्पनी द्वारा आंतरिक व्यवस्था होने के बावजूद अपने एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी BPSCL को Coal Co-ordination के कार्य हेतु Private एजेन्सी को लगाने की अनुमति देकर अपने उपर करीब 15 करोड़ रुपए का परिहार्य खर्च किया।

शेष तीन ड्राफ्ट पारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से संबंधित था जिनमें कार्य संचालको (implementing agencies) को तीन सड़क मार्गो के निर्माण में करीब 130 करोड़ रुपये की अनावश्यक बोनस/एन्युटी के रुप में भुगतान किया गया। ज्ञात हो कि NHAI का लेखापरीक्षा हमारे कार्यालय के लिए नया है और कुछ ही इकाई हमारे लेखापरीक्षा के अधीन आता है। फिर भी इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को सामने लाने में हम सफल रहे।

4. वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षा (Audit of Annual Accounts)

वर्ष 2015-16 में हमारे कार्यालय द्वारा सभी कम्पनियों, जिनका लेखा विवरणी प्राप्त हुआ था, के लेखापरीक्षा एवं टिप्पणी तय समय सीमा के अन्दर करने में सफल रहे। इनमें SAIL और HEC के लेखा विवरणी पर किए गए लेखा लेखापरीक्षा उल्लेखनीय है। इन दोनों कम्पनी पर हम टिप्पणी करने में सफल रहे। इसके अलावा SAIL के फेज ऑडिट के नतीजे के आधार पर करीब 85 करोड़ रुपये का लाभ -हानि के विषय में सुधार किया गया। ज्ञात हो कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक (C&AG) संस्था द्वारा संवैधानिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा के बाद Supplementary लेखापरीक्षा किया जाता है। अत: हमारी सफलता सराहनीय है।

5. अन्य उल्लेखनीय कार्य (Other Important Works)

हमारे कार्यालय को Management of cash surplus विषय पर किए गए अध्ययन का Lead कार्यालय बनाया गया। इस Study में 36 सूचीबद्ध कम्पनियाँ शामिल थी और विभिन्न सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड कार्यालयों द्वारा अपने हिस्से का लेखापरीक्षा का कार्य एवं समाकलन का काम सफलता पूर्वक किया। यह रिपोर्ट नियंत्रक महालेखापरीक्षक (C&AG) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अत: उपरोक्त बातों से पता चलता है कि लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों में हमारे प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय, राँची के लिए 2015-16 का वर्ष उपलब्धियों भरा रहा। हम यह कार्य अपने प्रधान निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निरन्तर मार्गदर्शन एवं प्रशंसा (appreciation) के कारण निष्पादित करने में सफल रहे। मैं तहे दिल से कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम भविष्य में भी अपना सर्वोतम योगदान देना जारी रखेंगें।

मैं ऑडिट हूँ

अंकेक्षण शब्द, मुझसे अर्थात ऑडिट से बना है। मैं लैटिन भाषा के 'अडायर' (Audire) शब्द से लिया गया हूँ जिसका सही अर्थ है सुनना (Hearing)। शुरू में मैं सिर्फ सुनने से ही सम्बन्धित था। उन दिनों व्यक्ति अपने लेखे किसी न्यायाधीश को सुनाते थे जो सुनकर अपनी राय देता था कि लेखे सही हैं या नही। यह प्रथा युनान, रोम इत्यादि के साम्राज्यों में प्रयोग की जाती थी जिसका प्रयोग सार्वजनिक संस्थाओं एवं राजकीय बही खातों की जाँच हेतु किया जाता था।

लेखापरीक्षा, अंकेक्षण या ऑडिट (audit) यानि मेरा सबसे व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, तन्त्र, प्रक्रिया, परियोजना या उत्पाद का मूल्यांकन करना है। मेरा उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि दी गयी सूचना वैध एवं विश्वसनीय है। इससे उस तन्त्र के आन्तरिक नियन्त्रण का भी मूल्यांकन प्राप्त होता है।

मेरा उद्देश्य यह होता है कि मेरे बाद व्यक्ति/संस्था/तन्त्र/ प्रक्रिया के बारे में एक राय या विचार व्यक्त किया जाय। वित्तीय लेखापरीक्षा (financial audits) की स्थिति में वित्त सम्बन्धी कथनों (Statements) को सत्य एवं त्रुटि रहित घोषित किया जाता है यदि उनमें गलत कथन न हों। परम्परागत रूप से मेरा उपयोग मुख्यत: किसी कम्पनी या किसी वाणिज्यिक संस्था के वित्तीय रिकार्डों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये की जाती थी। किन्तु आजकल मेरे अन्तर्गत अन्य सूचनाएँ (जैसे पर्यावरण की दृष्टि से कामकाज की स्थिति) भी सम्मिलित की जाने लगी हैं।

प्राचीन काल में व्यापार बहुधा बहुत छोटे पैमाने पर होता था। अत: लेखों की महत्ता व आवश्यकता नहीं समझी गई। लेखा व्यवसाय के इतिहास में सन् 1494 का वर्ष क्रान्ति लेकर आया जब दोहरा लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। लेखा व्यवसाय की उन्नति वास्तव में व्यापार के विकास के साथ-साथ हुई जब कम्पनी के रूप में व्यापार करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसी के साथ ब्रिटिश कम्पनी अधिनियम में 1844 में मुझको भी वैधानिक मान्यता मिली। प्रारम्भ में कम्पनी अपने सदस्यों में से किसी को भी अंकेक्षक नियुक्त कर सकती थी बाद में योग्य व स्वतंत्र अंकेक्षक नियुक्त करने हुतु 11 मई 1880 को ब्रिटेन में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की स्थापना हुई।

लेखांकन का उद्देश्य तभी सफल होता हैं जबकि वे विश्वसनीय हो। लेखांकन विवरणों की विश्सनीयता को मेरे द्वारा सुनिश्चित किया जाता हैं। आज के आर्थिक परिवेश में सूचना व जवाबदेही की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। परिणाम स्वरूप एक संस्था के वित्तीय विवरणों का निष्पक्ष अंकेक्षण निवेशकों, लेनदारों व अन्य सहभागियों की एक महत्वपूर्ण सेवा है।

मेरा इतिहास एवं भारत में लेखा व्यवसाय का विकास निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है:-

सन् 1494 ई. में दोहरा लेखाप्रणाली के जन्म के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फलस्वरूप लेखांकन की उन्नति भी हुई। भारतीय कम्पनी अधिकनयम 1882 ई. की प्रथम अनुसूची तालिका 'ए' के 83 से 94 तक के नियमों में

मुझसे सम्बन्धित नियम दिये हुए थे।

भारत में भी सार्वजनिक कम्पनियों के लेखों का अंकेक्षण भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व कम्पनियां मुझसे सम्बन्धी प्रावधान अपने अन्तर्नियमों में कर लिया करती थीं। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी- प्रान्तीय सरकारों में सर्वप्रथम बम्बई सरकार ने सन् 1918 ई. में लेखाशास्त्र तथा मेरे क्षेत्र में डिप्लोमा देने की व्यवस्था की गई। इसके अन्तर्गत लेखा व्यवसाय में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी था तथा किसी मान्यता प्राप्त लेखापालक के अधीन तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इस परीक्षा का नाम G.D.A. (Government Diploma in Accountancy) था। ऐसे व्यक्तियों को जो योग्यता परीक्षा पास कर लेते थे उन्हें भारत के प्राय: सभी प्रान्तों में अंकेक्षक की तरह नियुक्त किया जा सकता था।

सन् 1932 ई. के बाद केन्द्रीय सरकार ने यह भार अपने ऊपर ले लिया। इसी वर्ष अंकेक्षक प्रमाण-पत्र नियम (Auditors' Certificate Rules) बनाये गये और उनके नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड एकाउटेंण्ट (R.A. or Registered Accountant) की उपाधि प्रदान की जाने लगी।

श्री सी.सी. साई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफरिश पर सन् 1949 ई. में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एक्ट पास हुआ जो 1 जुलाई 1949 में लागू किया गया तथा जिसके माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का सदस्य ही एक योग्यता प्राप्त अंकेक्षक कहलाता है जिसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट कहते हैं। इससे पूर्व प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभी भी अंकेक्षक हैं, उन्हें सर्टिफाइड ऑडिटर्स कहते हैं।

सन् 1944 ई. में भारत में 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स' का एक 'गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी' के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया था क्योंकि भारत सरकार यह महसूस करती थी कि पश्चिमी देशों की भांति भारत में भी लागत लेखा के जानकार हों। भारत सरकार ने सन् 1958 ई. में एक बिल पेश किया, जिसे 19 मई 1959 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी तथा इस प्रकार 'कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई।

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उद्योगों में लगी किसी भी कम्पनी की लागत को मुझसे होकर गुजरना अनिवार्य कर सकती है तथा इसी अधिकार के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी 1969 से कुछ उद्योगों में लागत लेखों में मुझे अनिवार्य कर दिया है। जिसके आदेश पृथक से जारी होते हैं।

आगे एक अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति की पहली बैठक डसेलडर्फ में 26 तथा 27 अप्रैल 1973 को हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, भारत, मेक्सिको, यू.के., फिलीपाइन्स, जर्मनी और यू. एस.ए. के मेरे पेशे के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिति ने उस समय जापान को भी अपना सदस्य बनाना तय किया था। इस समिति के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय लेखामानक समिति भी है जो कि संसार में मेरे सम्बन्ध में मानकों का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों से मानक लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय अंकेक्षण प्रैक्टिस कमेटी (जिसका भारत भी एक सदस्य है) ने सभी सदस्य देशों को मेरी मार्ग-दर्शिका निर्गमित की है। यह कमेटी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन International Federation of Accountants (IFAC) का ही अंग है। वर्ष 1977 में इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्टस की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गयी जिससे कि मेरा पेशा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड की स्थापना की गई इस बोर्ड का मुख्य कार्य उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये वर्तमान अंकेक्षण अभ्यासों का निर्गमन तथा विकास करना है जो जनहित में हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य किये जा सकें।

इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया, आई.एफ.ए.सी. का सदस्य है और यह आई.एफ.ए.सी. द्वारा जारी मार्ग दर्शन के कार्यान्वयन में कार्य करने के लिये वचनबद्ध है। जुलाई, 2002 में मेरे व्यवहार समिति को संस्थान की परिषद् द्वारा 'आडिटिंग एण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्स बोर्ड' में परिवर्तित किया जा चुका है ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समकक्ष आ सकें। विभिन्न हित वर्गों तथा समाज के विभिन्न प्रखण्डों के प्रतिनिधियों की भागीदारी द्वारा आडिटिंग एण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्ड्स बोर्ड ने मेरे कामकाज में वांछनीय पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तक 34 अंकेक्षण व आश्वासन मानक जारी किये जा चुके हैं।

सौजन्य : विविध

राउरकेला एक दृश्य

राजभाषा हिंदी के निरीक्षण के संबंध में मुझे राउरकेला में एक दिन गुजारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां राउरकेला इस्पात संयंत्र इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाता एक आम नागरिक को भी दिख जायेगा। राउरकेला, ओड़ीसा राज्य में स्थित है। यहां स्थित इस्पात संयंत्र सन् 1960 के दशक में पश्चिम जर्मनी की सहभागिता से खड़ा हुआ जो अब सेल द्वारा संचालित किया जाता है। मैंने जब इसके बारे में कुछ विशेष रूचि दिखाते हुए कुछ अधिक जानने की कोशिश की तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात सामने आयी जो शायद आपको भी इसकी महत्ता का एहसास कराएगा और वह ये कि यह इस्पात संयंत्र एशिया का पहला इस्पात संयंत्र है जो इस्पात तैयार करने में एल डी (Linz-Donawitz) प्रक्रिया जिसे oxygen converter process भी कहते हैं, का इस्तेमाल करता है। हमें यह भी जानकारी मिली की राउरकेला इस्पात संयंत्र की पहली धमन भट्ठी (Blast Furnace) का शिलान्यास हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति स्व॰ डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 03 फरवरी 1959 को किया गया था। इस धमन भट्ठी की संज्ञा 'पार्वती' दी गई।

राउरकेला से रांची का सफर लगभग 3 घंटे का है। स्टेशन से कुछ दूरी पर सेल गेस्ट हाउस स्थित था जहां मुझे ठहरना था। भारतीय रेल का एक डब्बा मुझे ढो रहा था और लगभग 7 बजे शाम को उसने मुझे स्टेशन छोड़ा। स्टेशन पर हमारे दो मित्र श्री आशीष लकड़ा तथा श्री सुमित मिश्रा मुझे गाईड करने को तत्परता से खड़े थे, इसलिये पहली बार इस राज्य में आने के बावजूद कोई समस्या ढूंढने से भी नहीं दिखी। हमलोग गेस्ट हाउस पहुचे। यह एक बहुत शांत वातावरण वाले परिवेश में स्थित था। रात में पसरे अंधेरे के कारण कुछ विशेष जानकारी उस शहर की नहीं मिल पायी। रात्री भोजन के पश्चात् मै सीढ़िओं से ऊपर अपने कमरे में गया और सोने की तैयारी करने लगा। उस रात उस नये स्थान में नींद नहीं आ रही थी। एक बड़ा सा कमरा, एक पलंग जिस पर खुबसूरत सफेद चादर तथा ओढ़ने के लिए एक पतली सी ऊनी चादर थीं। एक कोने में टेलीविजन जिसपर लोकल समाचार फ्लैश हो रहा था, लगातार अपनी सेवा दिये जा रहा था। नींद न आने के कारण काफी देर तक टीवी चलता रहा। दो-तीन बार मैं कमरे से बाहर बालकोली में निकला। चारो तरफ सिर्फ दो ही चीजें दिखी-सर्द मौसम में अंधेरे की चादर तथा उसे ओढ़े हुए पेड़ पौधे। बाहर का वातावरण थोड़ा सर्द था। हवा में हल्की सफेद धुएं जैसी कोई चीज तैर रही थीं। पतले स्वेटर वाली सर्द रात और नई जगह, बायीं ओर लगभग 40 फीट की लम्बी बालकोनी और दायीं ओर 20 फीट की सामने 30 फीट की दूरी पर गेस्ट हाउस का बाउंड्री उस अंधेरी रात में सामान्य आंखों से देखा जा सकता था और बाउंड्री के उस पार कुछ स्पष्ट न दिखने वाली दृश्य की मौजूदगी अपने आप में कुछ नयापन समेटे था। आधी रात के बाद नींद ने मुझे अपने आगोश में ऐसे ले लिया कि कुछ पता ही नही चला। सुबह की पहली किरण के साथ नींद खुलीं आदतन मैंने बिस्तर छोड़ते ही खिड़कियों व दरवाजे के पल्लों को सरकाते हुए बाहर से आने वाली सूर्य की आर्कषक किरणों तथा उनका साथ देती ठंडी हवाओं को अंदर आने का मौका दिया और देखते ही देखते अंदर का वातावरण भी सर्द हवाओं से भर गया। जैसे

ही मैं दरवाजे के बाहर बालकोनी में निकला तो आंखों के सामने एक नैसर्गिक छटा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी मानो मेरे स्वागत के लिए ही खड़ी हो। रात के समय ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु अभी सुबह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों इतना बड़ा परिवर्तन कोई जादू हो। बालकोनी से जैसे ही बाहर की ओर देखा तो सामने खुबसूरत हिरणों का एक बड़ा जत्था पार्क में मौजूद था। अगर टेलीविजन की बात छोड़ दी जाये तो इतने सारे हिरणों को मैंने पहली बार इतने नजदीक से देखा था। यह नजारा काफी खुबसूरत और मोहक था। पता चला सामने कोई पार्क था जो काफी बड़ा और हरियाली से भरा था। सामने हिरणों को देखना मात्र एक सुखद अनुभूति कराने वाला पल था। राउरकेला में स्थित स्टील सिटी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जर्मनी के बाहर सबसे बड़ी जर्मन कॉलोनी राउरकेला में ही स्थित थी जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण घटना है। रेलवे स्टेशन से लगभग 15 कि.मी. का की दुरी पर व्यास नदी शहर की खुबसुरती बढ़ा रही है। व्यास नदी का नाम महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के नाम पर दिया गया है। कहा जाता है कि नदी के किनारे एक गुफा है जिसमें महर्षि रहा करते थें। इस शहर की खुबसूरती यहां मौजूद 75 फीट ऊंची राम भक्त हनुमान की प्रतिमा भी बढ़ा रही है। यह प्रतिमा हनुमान वाटिका में सीना ताने खड़ी है मानो सम्पूर्ण राउरकेला शहर का नजारा ले रही हो। शहर का कुछ ही हिस्सा मैं देख पाया था और उस आधार पर शायद इस शहर को तीन भागों में बांटना उचित होगा; प्राकृतिक, पौराणिक एवं औद्योगिक। इस शहर की शांति एवं स्वच्छता इसकी खुबसूरती में चार चांद लगाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला भारत की कुल 31 राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान में एक है। NIT Act 2007 द्वारा इसे Institute of National Importance की उपाधि से विभूषित किया गया है। इस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1961 को पं जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। राउरकेला पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा व उद्योग की अदभुत मिसाल प्रतीत होती है।

आज राउरकेला की महज कल्पाना मात्र मेरी यादों के गुलदस्ते को सुगंधित कर देती हैं।

तुम्हारी कोख में

-सुनील कुमार साव
क. अनुवादक
(आर.ए.ओ. / भिलाई)

माँ
तुम अनपढ़, गंदी, गँवार
जैसी भी हो माँ हो
जैसी माँ होती है
वात्सल्य से भरी हुई
जैसे मेरे बेटे के लिए उसकी मॉम है
दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी
वैसी ही अच्छी हो तुम मेरे लिए
कष्ट के कांटकों से लहूलुहान होती
अभाव की आँच में तपती, झुलसती
बुनती रही हो तुम सदैव
मेरी खुशियों के ताने-बाने
मैं जहाँ भी होता हूँ
भटकती रहती है मेरे आस-पास पागल-सी
तुम्हारी ममता
रखना चाहती हो तुम मुझे सदैव
अपनी ममता की छाँव में
ताकि तृप्त होती रहें मुझे देखकर
तुम्हारी आँखें, लेकिन
मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाता
मेरी पत्नी तुमको बर्दाश्त नहीं करती
कारण-एक तो तुम किसी काम की नहीं
व्यर्थ का बोझ हो
दूसरे तुम अकेली नहीं हो
तुम रहती हो तो
तुम्हारे दूसरे बेटे-बेटियों
उनके बच्चों और रिश्तेदारों का
आना-जाना लगा रहता है
जो मेरी पत्नी को अखरता है
उनको वह कुछ नहीं कहती
अपनी सारी खुन्नस वह मुझको
या तुमको
जली-कटी सुनाकर निकालती है
मेरे बच्चों को भी तुम पसंद नहीं हो
उनके लिए आउट डेटेड हो
उनमें से कोई भी दो घड़ी
तुम्हारे पास बैठने को राजी नहीं है
बदबू आती है उन्हें
तुम्हारे शरीर और कपड़ो से
शायद वे अभी
इस बात का मर्म नहीं जानते
कि माँ का आँचल सदैव
ममता की खुशबू से भरा होता है
माँ के शरीर से कभी बदबू नहीं आती
शायद जान भी नहीं पाएँगे वे
इस मर्म को क्योंकि
तुम उनकी माँ नहीं, मेरी माँ हो
मैं समझता हूँ तुम्हारी ममता का मर्म
मुझे छींक भी आ जाए
तुम परेशान हो जाती हो
मेरी छोटी सी परेशानी
तुम्हारी बेचैनी का कारण बन जाती है
मुझे बर्दाश्त नहीं होता
पत्नी का तुम्हें कुछ भी कहना

तुमको अच्छा नहीं लगता
पत्नी के साथ मेरा झगड़ा या
घर में क्लेश का होना
तब, तुम ही बताओं माँ
मैं क्या करूँ?
तुमको अपने पास कैसे रखूँ
मेरी पत्नी तुमको
अपने पास रखने को तैयार है
बशर्ते तुम बीड़ी न पिओ
मैं जानता हूँ
तुम बीड़ी पीना छोड़ दोगी
जब, जैसा भी, तुम्हें खाने को मिले
चुपचाप खा लो
घर की किसी चीज को हाथ न लगाओ
न किसी मामले में कुछ बोलो
मुझे यकीन है
ऐसा भी कर लोगी तुम, लेकिन
बच्चों के साथ तुम प्यार न जताओं
मुझसे भी ज्यादा बातें न करो
कोई रिश्तेदार तुमसे मिलने न आए
तुम अपने दूध से रिश्ता तोड़ दो
अपनी ममता का गला घोंट दो
शायद ऐसा तुम नहीं कर पाओगी
कर सकी तो जी नहीं पाओगी
आखिर ममता ही तो
तुम्हारी पूँजी, तुम्हारी ताकत
तुम्हारे जीवन का स्रोत है
बिना ममता के कैसे जी सकती है
कोई माँ
बेशक तुम गाँव में रहती हो
दूर हूँ मैं तुम्हारी आँखों से
तो भी मैं
तुम्हारी आँखों में बसा होता हूँ
बात करता हूँ जब भी
तुमसे फोन पर
तुम्हारी आवाज बता देती है
तुम्हारे आँचल में दूध उतर आता है
कुलबुलाने लगता हूँ मैं
तुम्हारी कोख में।

हिंदी की कहानी

शैलेंद्र कुमार
क. अनुवादक

हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना जाता है। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था 'अवहट्ठ' से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी 'अवहट्ठ' को 'पुरानी हिंदी' नाम दिया। अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जन्मकाल के समय को संक्रांतिकाल कहा जा सकता है। हिंदी का स्वरूप शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। 1000 ई. के आसपास इसकी स्वतंत्रसत्ता का परिचय मिलने लगा था, जब अपभ्रंशभाषाएँ साहित्यिक संदर्भों में प्रयोग में आ रही थीं। यही भाषाएँ बाद में विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में अभिहित हुईं। अपभ्रंश का जो भी कथ्य रूप था - वही आधुनिक बोलियों में विकसित हुआ।

अपभ्रंश के सम्बंध में 'देशी' शब्द की भी बहुधा चर्चा की जाती है। वास्तव में 'देशी' से देशी शब्द एवं देशी भाषा दोनों का बोध होता है। प्रश्न यह है कि देशीय शब्द किस भाषा के थे? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उन शब्दों को 'देशी' कहा है 'जो संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव रूपों से भिन्न है। ये 'देशी' शब्द जनभाषा के प्रचलित शब्द थे जो स्वभावतया अपभ्रंश में भी चले आए थे। जनभाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती, परंतु व्याकरण को जनभाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है, प्राकृत-वैयाकरणों ने संस्कृत के ढाँचे पर व्याकरण लिखे और संस्कृत को ही प्राकृत आदि की प्रकृति माना। अतः जो शब्द उनके नियमों की पकड़ में न आ सके, उनको देशी संज्ञा दी गई।

हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीनी भाषा के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है।

हिंदी और इसकी बोलियाँ उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम और नेपाल की जनता भी हिंदी बोलती है। 2001 की भारतीय जनगणना में भारत में 42.2 करोड़ (422,048,642) लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा बताया। भारत के बाहर, हिंदी बोलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 648,983; मॉरीशस में 685,170; दक्षिण अफ्रीका में 890,292, यमन में 232,760; युगांडा में 147,000; सिंगापुर में 5,000; नेपाल में 8 लाख; न्यूज़ीलैंड में 20,000 और जर्मनी में 30,000 हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे नागरी नाम से भी पुकारा जाता है। देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और इसे बाएं से दायें ओर लिखा जाता है।

हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिन्धु से माना जाता है। 'सिन्धु' सिन्ध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आस-पास की भूमि को सिन्धु कहने लगे। यह सिन्धु शब्द ईरानी में जाकर 'हिन्दू', हिंदी और फिर 'हिन्द' हो गया। बाद में ईरानी धीरे-धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिन्द शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का ईक प्रत्यय लगने से (हिन्द ईक) 'हिंदीक' बना जिसका अर्थ है 'हिन्द का'। यूनानी शब्द 'इन्डिका' या अंग्रेजी शब्द 'इण्डिया' आदि इस 'हिंदीक' के ही विकसित रूप हैं। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 'जफरनामा' (1424) में मिलता है।

प्रोफेसर महावीर सरन जैन ने अपने ''हिंदी एवं उर्दू का अद्वैत'' शीर्षक आलेख में हिंदीकी व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए कहा है कि ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में 'स्' ध्वनि नहीं बोली जाती थी। 'स्' को 'ह्' रूप में बोला जाता था। जैसे संस्कृत के 'असुर' शब्द को वहाँ 'अहुर' कहा जाता था। अफ़गानिस्तान के बाद सिन्धु नदी के इस पार हिन्दुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फ़ारसी साहित्य में भी 'हिन्दुश' के नामों से पुकारा गया है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु, भाषा, विचार को 'एडजेक्टिव' के रूप में 'हिंदीक' कहा गया है जिसका मलब है 'हिन्द का'। यही 'हिंदीक' शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में 'इन्दिके, 'इन्दिका', लैटिन में 'इन्दिया' तथा अंग्रेजी में 'इण्डिया' बन गया। अरबी एवं फ़ारसी साहित्य में हिंदी में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए 'ज़बान-ए-हिंदी', पद का उपयोग हुआ है। भारत आने के बाद मुसलमानों ने 'ज़बान-ए-हिंदी', 'हिंदी जुबान' अथवा 'हिंदी' का प्रयोग दिल्ली-आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया। भारत के गैर-मुस्लिम लोग तो इस क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा-रूप को 'भाखा' नाम से पुकारते थे, 'हिंदी' नाम से नहीं।

सौजन्य: विविध

वक्त हमारा है

वक्त आपका गुजर गया,
कुछ बंदिशों में
कुछ साजिशों में
आप सोंचते रह गये
और, वक्त आपका गुजर गया।
अब वक्त हमारा है,
नयी ख्वाहिशों से
नये आजमाईशों से
हमने इसे संवारा है,
कल का वक्त गुजर गया
आज का वक्त हमारा है।।
अब आपकी बंदिशों का,
ना कुछ असर होगा
ना आपकी साजिशों से,
कोई पैदा-ए-लहर होगा।
अब साजिशों में बंदिशें भी हैं,
आपकी ख्वाहिशें भी है
फर्क सिर्फ इतना है,
वो कल "आप" थे,
और आज वक्त "हम" है।।

क्यूंकि आज तुम याद आ गई....

अखरोट जैसी दिखने वाले चेहरे का रंग बिल्कुल गोरा था। झुर्रियों ने अपना आशियाना बना रखा था, मानो व्यस्तम शहर की छाती पर सड़कों का जाल बिछा हो। ठहाके लगाकर बात बात में हंसने वाली और गलतियों पर त्वरित हाँथ चलाकर मारने वाली थी वो। ठीक उसी तरह जिस तरह नेवाला छुने पर चूहेदानी का दरवाजा झटाक से बंद हो जाता है। हंसने पर दोनों किनारों से दो हॉर्लिक्स के रंग वाले दांत और बीच में गहरा अंधेरा जिसमें जिह्वा नहीं दिखती थी, सिर्फ काला अंधेरा दिखता था। आंखें थोड़ी धंसी हुई और हंसने पर गालों में थोड़ा उभार दूर बैठे किसी व्यक्ति को दिखाई देने वाले होते थें। गलती से अगर छूट न गया हो तो उनके पूंछ जैसे बाल सफेद हो गये थे। दीवार पर पुचाड़ा करने वाले कुंची के सन के समान पीलापन लिये सफेद थे ये बाल, वो टिन के डब्बे वाला नारियल तैल का डब्बा, हरे रंग का, जिसके दोनो किनारों पर नारियल के पेड़ की तस्वीर होती थी। डब्बे को खोलने के लिए बड़े नाखून वाली उंगलियों की जरूरत होती थी अगर किसी ने इसे कुतर दिया हो तो फिर 50 या एक रूपये के सिक्के जिस पर रूपये का अंक उभार के साथ लिखा होता था और दोनों ओर धान की बालियाँ होती थी इनकी जरूरत होती थी। दिनभर बिस्तर पर बैठे-बैठे कुछ न कुछ बोला करती थी। शायद हमें प्यार करती थी वो हमें याद है कभी स्कूल में किसी शिक्षक द्वारा हमलोगों की पिटाई होने पर उन्होंने शिक्षक को गालियां भी दी थी। कभी-कभी की बातों से सहमत न होने पर भी वो गालियों से सामने वाले को पुरस्कृत करती थीं। उन गालियों में बहुत अधिक चुभन नहीं होती थी। कभी ऐसी कोई ठंड आई जिसमें डाक्टरों ने यह घोषणा कर दिया कि उनके शरीर के बाये हिस्से में पैरालाइसिस ने हमला बोल दिया है और अब उनके शरीर का आधा भाग सक्रीय नहीं रहेगा। अब बिस्तर पर ही उनका नया जीवन शुरू होने वाला था। हरेक कार्य के लिए उन्हें घर के किसी सदस्य का साथ लेना होता था। यह दु:खद था। घर का जो भी सदस्य उनका सहारा बनता उसे उनके बायीं ओर सहारा देना होता था जबकि दायीं ओर से वो बिल्कुल एक आम बुढ़िया जैसी अपना कार्य कर सकती थी। उनका शरीर नाव की तरह दोनों किनारों से झुका हुआ था और पीठ का हिस्सा आम बुढ़ियों की तरह काफी उभार भरा था। सभी भाई-बहनों ने मिलकर उनकी सेवा व देखभाल की थी। माँ कहती है मैंने काफी हद तक उनकी सेवा की थी। हम भाई-बहनों के लिए दादी थी वो, पिताजी और बुआजी के लिए माँ थी तो माँ के लिए सास। लगभग 80 वर्ष पहले अंकुरित हुए दांतों के बीज अब जबड़े को सपाट बना चुके थें। उनकी ठुड्डी सामान्य लोगों से आधी इंच ज्यादा थी। कभी-कभी दांतों के गायब हो जाने से शायद ऐसा प्रतीत होता है।

दादी का कोई गंभीर चेहरा मुझे याद नहीं है। शायद वह ज्यादातर हँसा करती थीं। नारियल तैल के अलावा एक और चीज जो उनके साथ अक्सर मैंने पाया था वह था सरसो जैसे छोटे-छोटे परंतु सफेद दानों के गुच्छे से बना मिठाई जिसे 'लाई' कहते हैं। न जाने क्यूं दादी हमेशा एक डब्बे में लाई रखा करती थी और खत्म होने से पहले ही भविष्य के लिए दो तीन पॉकेट मंगा लिया करती थी। लाने-वाले को मेहनताने के रूप में एक दो उपहार स्वरूप मिल जाया करता था। हम जैसे बच्चों के लिए ये पल काफी उत्साह भरा होता था। इस विशेष प्रकार की मिठाई खाने के पीछे उनका दांत रहित होना एक तर्कपूर्ण कारण दिखता है। इसे स्टोर कर अपनी हिफाजत में रखना भी काफी आसान

था। एक दो चुरा कर खाने में इसका स्वाद चार गुणा बढ़ जाया करता था। हमे आज भी याद है। दादी को शायद इस बात का इल्म न हो पाता था।

दादी बिल्कुल उसी तरह दिखती थी जिस तरह हम बचपन की किताबों में दादी की सफेद सूती साड़ी वाली तस्वीर देखते हैं। दादी की सफेद सूती साड़ी उनके सफेद बालों को ढंके होते थें। क्षितिज रेखाओं से भरे ललाट के उपर साड़ी का पल्लू होता था जिसपर हल्के नीले रंग का बॉर्डर तथा कुछ हल्के छोटे-छोटे फूल छितराए होते थें। साड़ी का खुबसूरत गहना था ये फूल। सर्दियों में थोड़ी बब्लिंग वाली शॉल माथे की साड़ी को ढंक देते थें।

दादी पुरानी परंपराओं की वाहक थी। परंपराओं की वाहक दादी बायीं ओर दादाजी के बगल में हमारे कमरे की दीवार पर श्याम श्वेत अवस्था में सामने वाली दीवार को टकटकी लगा कर देखती हुई आज भी हमारे घर की शोभा बढ़ाती हैं। आज परंपराये बदल गई है, सबकुछ कितना बदल सा गया है परंतु आज फिर दादी याद आती है।

आपबीती कहानी

सन् 2005 (दुःख भरा साल) दुखद साल

बैरिस्टर राम
पर्यवेक्षक

प्रायः ऐसा देखा या सुना गया है 'आदमी का दोष नहीं होता समय का दोष होता हैं। समय परिवर्तनशील है। समय के साथ-साथ परिस्थिति भी बदलती गई। समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया जब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। अनुकूल परिस्थितियों में सबकुछ सामान्य रहता है प्रतिकुल परिस्थितियों में वहीं समय विकराल रूप धारण कर लेता है जिसको काटना कठिन हो जाता है। एक ऐसा समय आया वह समय था सन् 2005 । सन् 2005 का नाम लेते ही मनःस्थिति खराब होने लगती है और सारा शरीर कांप उठता है। इस वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं था जो कठिन और कष्टदायक नहीं लगा होगा। यों कहिए कि सन् 2005 सारी विपत्तियों का जड़ था। समय की घड़ी चलती रही और विपदाओं का दौर जनवरी महीने से ही शुरू हुआ और दिसम्बर में ही इसका अंत हुआ। एक के बाद एक विपत्तियाँ आयी और मैं और मेरा परिवार चुप-चाप झेलते रहे। घटनायें तो बहुत घटी किन्तु जो घटनाये हृदयविदारक है उन्हीं का जिक्र मैं यहां कर रहा हूँ।

दिनांक 05.02.2005 दिन शनिवार का 10 बजा था मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा कि यदि आप मेरा साथ दें तो मेरा काम शायद हो सकता है। बस, हमने हामी भर दी और हम दोनों उस कार्यालय की ओर चल दिये जहाँ मतदान सूची में नाम दर्ज हो रहा था। वहाँ कार्यरत एक शिक्षक से हमलोगों की मुलाकात हुई जिससे मैंने नाम दर्ज करने की बात कही। उनका कहना था कि ये काम अभी समाहरणालय में चला गया है कृपया आपलोग निर्वाचन पदाधिकारी से मिल लें तो अच्छा रहेगा। इस बात को सुनते ही हमलोग निर्वाचन कार्यालय के तरफ चल दिये। हमलोगों के साथ और भी लोग हो लिये जिन्हें निर्वाचन सूची में नाम दर्ज कराना था। उनमें एक लड़का मिला जो स्कूटर पर सवार था उन्होंने हमलोगों से बोला कि क्यों न हमलोग एक स्कूटर से ही चल चलें। उसकी बात सुनकर हमलोग तैयार होकर चल दिये। कार्यालय पहुँचने के बाद हमलोगों ने निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सूची तो पंचायत चुनाव पदाधिकारी के पास है आपलोग कृपया उनसे मिल लें। फिर उसी स्कूटर से हमलोग प्रखण्ड कार्यालय की तरफ चल दिये। जो जिला कार्यालय से करीब पाँच किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। खैर अधिकारी से तो भेंट भी हुई और बात भी किन्तु उस पदाधिकारी के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगा और उन्होंने निर्वाचन सूची में दर्ज नाम दिखाने से इंकार करते हुए, उन्होंने कहा कि आपलोगों का नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है या नहीं, मैं कल बताऊँगा, चुँकि अभी निर्वाचन कराने की तैयारी चल रही है। हमलोग उल्टे पाव वापस लौट पड़े। वापस लौटने के दौरान ही एक ऐसी घटना घटी जो अविस्मरणीय है। ज्योंहि हमलोग चास बाईपास रोड, वैभव होटल के पास पहुँचे वैसे ही स्कूटर का ब्रेक तार टुट गया और देखते ही देखते स्कूटर कन्ट्रोल से बाहर हो गया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमलोग स्कूटर से गिर पड़े जिसके चलते तीनों को काफी चोटें आई किन्तु हम तीनों की जान बच गई। इसको बोलते है, 'जान बचे तो लाखों पाय'। हमलोगों को अगल-बलग दुकानदारों ने दौड़कर सड़क से किनारे किया। इसके बाद स्कूटर मिस्त्री के बुलवाकर स्कूटर बनवाया गया और हमलोगों को जो चोट लगी थी उस पर तत्काल मरहम पटी लगाया गया। करीब आधा घंटा बाद जब मन स्थिर हुआ तो हमलोग फिर उसी स्कूटर से क्वार्टर के लिए रवाना हुए। इस घटना की जानकारी जब घरवालों को हुई तो वे लोग काफी दुःखित हुए। मुझे मेरे बायें पैर में चोट थी जिसके चलते मुझे टेटनस की सुई और बेन्डेज कराना पड़ा। मेरे उपचार के दौरान ही मेरी पत्नी डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर साहब जरा इनका रक्तचाप जाँच कर लीजिए। डॉक्टर ने अनमने से

सी.डी. रामन
उप निदेशक
(मुख्यालय एवं प्रशासन)

सौम्या

सुपुत्री श्री नरेन्द्र कुमार
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी

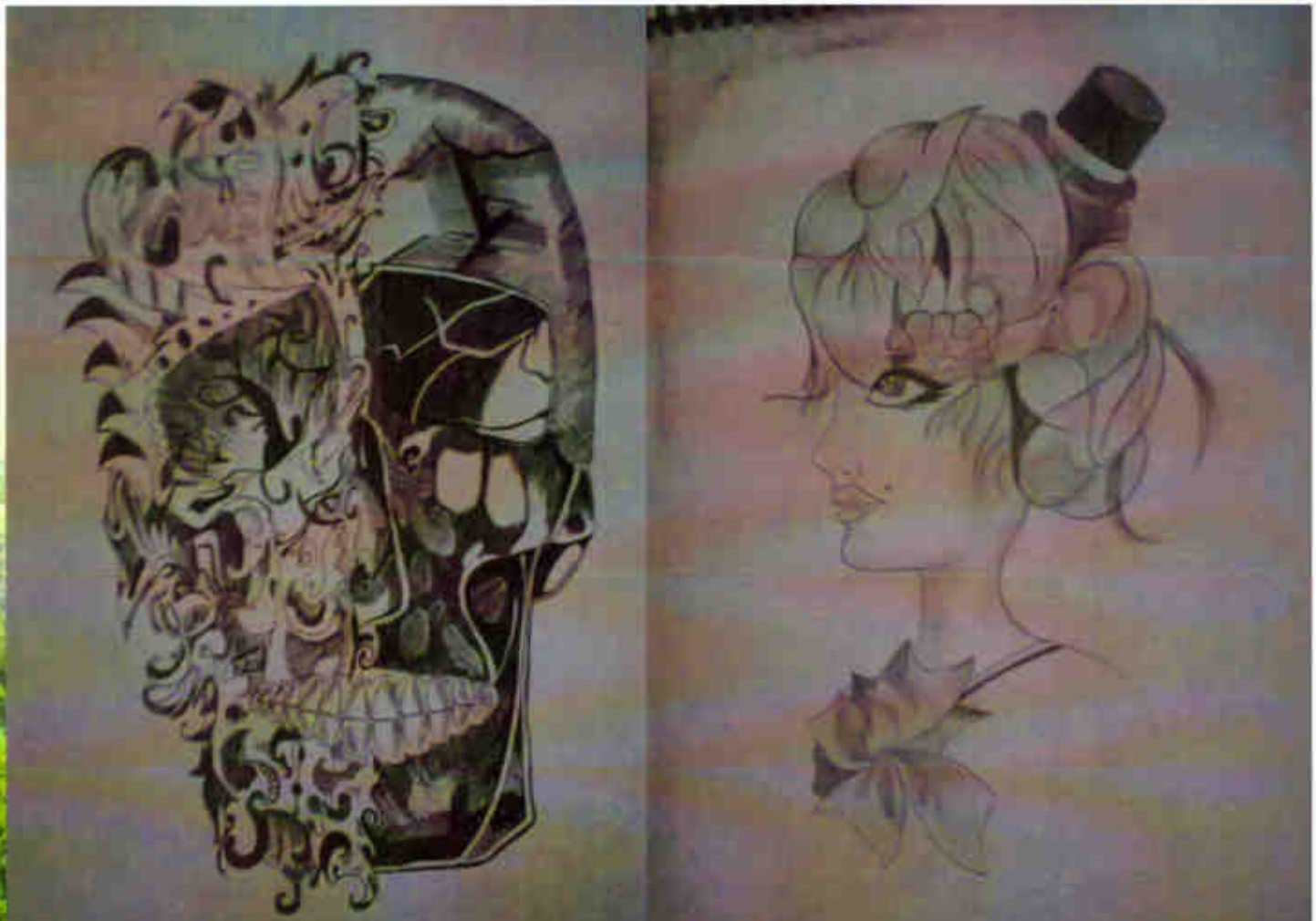

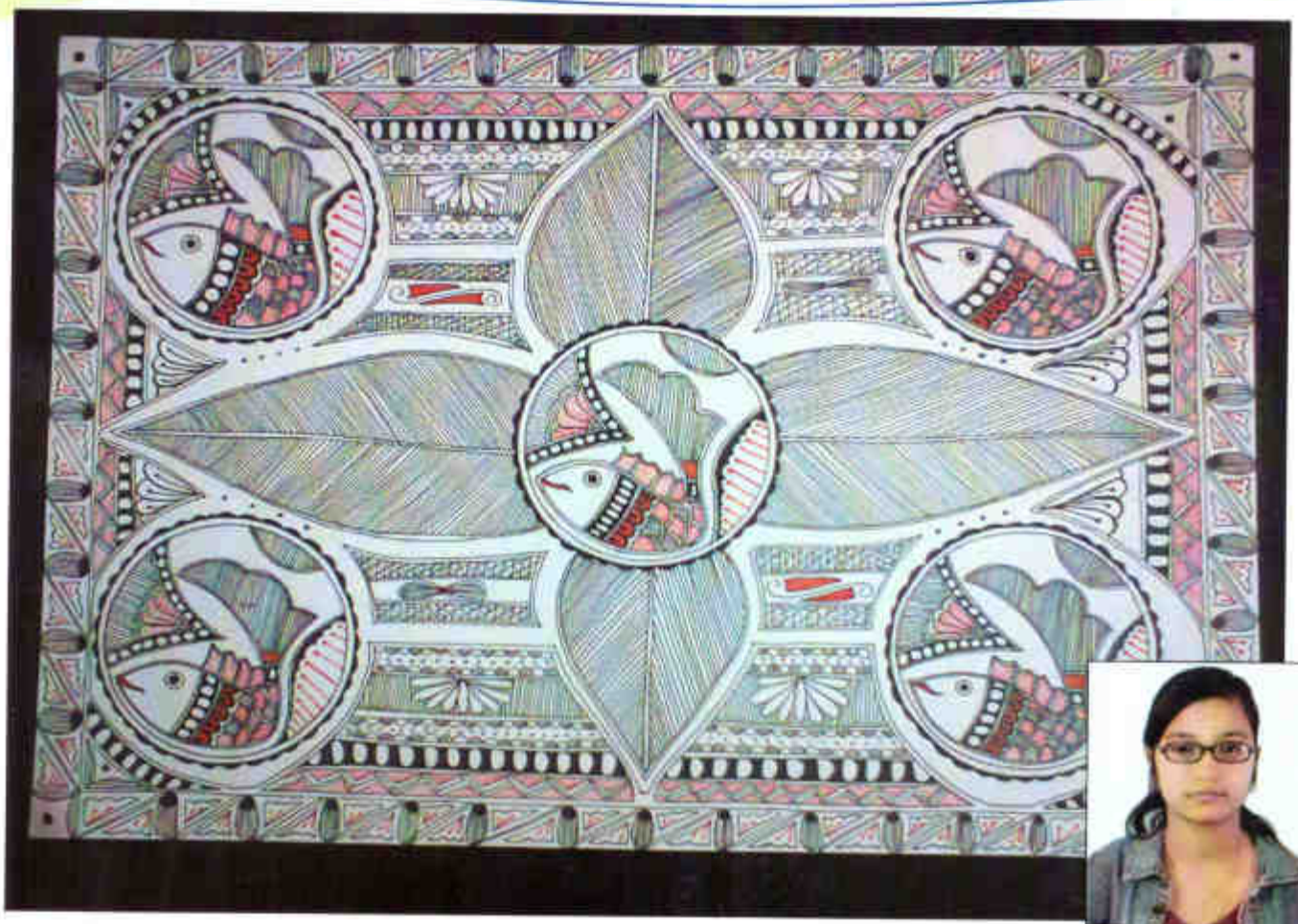

सौम्या
सुपुत्री श्री नरेन्द्र कुमार
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी

अंदाज में रक्तचाप का जाँच किया किन्तु मेरी रक्तचाप की स्थिति को देखकर दंग रह गये। आपका रक्तचाप 180/130 है आप कृपया बैठ जाइए और उन्होंने दवा निकालकर मुँह में जीभ से दाबने को कहा। उसी दौरान उन्होंने हिदायत दिये कि अगर किसी प्रकार का सीने में दर्द हो तो आप तुरन्त अस्पताल में भर्ती हो जाइएगा। आप पहले अपना आवश्यक जाँच (खून, पेशाब, शुगर कोलेस्ट्रॉल आदि) करा लीजिए फिर मैं उसे देखुंगा दो दिन के बाद जब मैं रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट तो ठीक था किन्तु रक्तचाप मेरा अभी भी बढ़ा हुआ था उसमें पहले से थोड़ी सी कमी आयी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप शाम को अस्पताल में भर्ती हो जाइएगा। भर्ती होने के ठीक एक दिन पहले एक होमियोपैथिक डॉक्टर से दिखाया था तो उन्होंने बताया कि आपका रक्तचाप ठीक है किन्तु भर्ती होने के आधा घंटा पहले एक निजी डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है। अंत में मजबुर होकर मुझे अस्पताल में 08.02.2005 को भर्ती होना पड़ा। करीब 46 दिनों के ट्रिटमेंट के बाद मेरा तबीयत कुछ ठीक हुआ और मैं कार्यालय में (तैनात) कार्यरत हुआ। अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हो पाया था कि तभी एक और घटना घटी जो हृदयविदारक थी।

पिताजी का चलना-फिरना अचानक बंद हो गया जिसके चलते मुझे उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीब दस-बारह दिनों के ट्रिटमेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब इससे ज्यादा सुधार नहीं हो सकता है अब इन्हें दवा-दारू की नहीं सेवा की जरूरत है। हत्तोसाह होकर हमलोग क्वार्टर पर लाये और उनकी सेवा में लग गये। अब पहले जैसा स्वस्थ नहीं रहने के कारण पैखाना-पेशाब बिछावन पर ही होने लगा फिर भी हमलोगों ने सेवा में कोई कमी नहीं की।

इसके बाद मौसम बदला और जून-जुलाई का महीना आया। बच्चे लोगों का खांसी-जुकाम का सिलसिला जारी रहा। एक के बाद एक बिमार पड़ा कोई भी बच्चा इससे अछुता न रहा।

अगस्त के प्रथम सप्ताह में भव: घर से आयी। उसे भी गठिया की बिमारी थी। हमलोगों ने जो जैसा कहा उसके मुताबिक दवा कराया। यहाँ तक कि ओझा-गुणी से झाड़-फुंक करवाया जिसमें आश्वासन मिला कि ये बीमारी जल्द ही ठीक हो जायेगी। सामान और पैसे की कमी नहीं की। कुछ लोगों ने कहा कि आर्युवेद के द्वारा ही ये बीमारी ठीक होगी किन्तु उसका फल उल्टा ही मिला और अंतत: मजबुर होकर हमलोगों को अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। करीब एक सप्ताह ट्रिटमेंट के बाद डॉटर ने आश्वासन देकर छोड़ा की उसी दवा से सुधार होगा। करीब महिना दिन दवा खाने के बाद बीमारी तो दूर नहीं हुई किन्तु दर्द में कमी आयी। कुछ लोगों का कहना था कि आर्युवेद ही अंतिम दवा है। पुन: हम लोगों ने आर्युवेद का सहारा लिया जो सबसे महंगा साबित हुआ। एक तो पैसा भी काफी लगा और बीमारी भी ठीक नहीं हुई।

दिनांक 09.10.2005 दिन रविवार को एक और घटना घटी। सबको सेवा करने वाली सेविका ही अचानकर बीमार पड़ गई। बीमारी की शुरूआत देह में दर्द और बुखार से शुरू हुआ पर बुखार की जगह मलेरिया की दवा चला देने से बीमारी इतनी बिगड़ गई कि लगा कि जान लेकर ही इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि बिना जाँच प्रतिवेदन का इन्तजार किये ही डॉक्टर ने मलेरिया का पुरी (डोज) मात्रा में दवा चला दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि मरीज का चलना-फिरना, उठना-बैठना यहाँ तक कि दो-दो बार (फिट) बेहोश होना पड़ा जिसके चलते पूरे परिवार में रोना-धोना शुरू हो गया और लगने लगा कि जान लेकर ही यह बीमारी जायेगी। इस संदर्भ में जब डॉक्टर से बातचीत हुई और झगड़ा-झंझट हुआ तब मलेरिया का दवा बंद कर दिया और गैस का दवा चलाना शुरू किया तथा इसका आवश्यक जाँच अल्ट्रासाउण्ड भी कराना पड़ा पर उसमें भी किसी बीमारी का पता न चला तो डॉक्टर अंत में अस्पताल में छुट्टी दे दिया।

लम्बी बीमारी और दु:ख का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पिताजी फिर से बीमार हो गये और देखते ही देखते ही बीमारी इतनी बदल गई कि हमलोग निराश हो गये कि अब पिताजी नहीं बच पायेंगे। इससे निराश होकर हमलोग दिनांक 12.11.2005 दिन शनिवार को अस्पताल में पुन: भर्ती कराये। ऑक्सीजन, पानी और इंजेक्सन जो भी आवश्यक उपचार था सबकुछ डॉक्टरों ने किया। किन्तु इतना होने के बावजुद डॉक्टर ने बताया कि शरीर का कोई भी अंग उनका काम नहीं कर रहा है इसके बावजूद भी वे कैसे जिदां है ये आश्चर्य की बात है। कुछ देर बात डॉक्टर ने आकस्मिक वार्ड से दुसरे जगह के लिय स्थानान्तरण कर दिया। वहाँ तीन दिन रखने के बाद बीमारी और भी बिगड़ गई और सोमवार रात्रि 11.30 बजे सी.सी.यू. में भर्ती करने का आदेश दिया। मध्य-रात्रि उसमें भी सन्नाटा और मरीजों का अंबार जिसमें कोई कराह रहा है तो कोई लम्बी सांसे ले रहा है तो कोई अंतिम दिन गिन रहा है। इतनी भयावह स्थिति थी कि हृदय काँप उठता था। इसी स्थिति में डॉक्टर हमको बुलाकर बोला कि इनका पल्स काम नहीं कर रहा है फिर भी हमलोग कोशिश कर रहे है, आगे उपरवाले पर भरोसा रखिए।

इसी बीच एक छोटी सी और घटना घटी। मेरी सबसे छोटी बेटी का दाहिना बाँह खेलते वक्त टुट गया। जिसे डॉक्टर ने कच्चा प्लास्टर करवाया। विपत्ति जब आती है तो चारों तरफ से आती है जिस समय मेरी पत्नी बिमार थी उसी समय माँ अस्पताल में हाथ धोने के दौरान गिर पड़ी थी जिसके चलते कमर में काफी चोट आयी थी। डॉक्टर ने सुई और दवा दोनों दिया किन्तु दर्द कम होने का नाम नहीं लिया और बीमारी बढ़ती ही गई।

इधर पिताजी जिस समय सी.सी.यू. में भर्ती थे उस समय घर से लेकर संबंधी तक कोई भी ऐसा सदस्य नहीं रहा जो पिताजी से भेंट करने न आया हो। भेंट करने का सिलसिला ज्योंहि खत्म हुआ ठीक दुसरे दिन करीब दिन के दस बजे दिनांक 17.11.2005 दिन बृहस्पतिवार को पिताजी का देहावसान हो गया। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय मैं, मेरी पत्नी, बेटा और छोटी बेटी अस्पताल में मौजूद थे। कुछ ही देर बाद मैंने अपने आप को संभाला और जिनका भी टेलिफोन नंबर मेरे पास मौजुद था उसको सूचित कर दिया। संबंधी से लेकर कार्यालय के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे सबों ने पिताजी की अंतिम संस्कार में भाग लिया। हमलोग उन्हें अपने कंधे पर ही श्मशान तक ले गये जहाँ उनकी अंतिम विदाई हुई। उनका पार्थिव शरीर देखते ही देखते अग्नि में विलीन हो गया।

उसके बाद मेरा शोक संतप्त परिवार और संबंधी सभी उनके काम-काज में लग गये। शास्त्र के मुताबिक वृद्ध व्यक्ति का अंतिम कार्य सोलह दिन के बाद हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। उनके कार्य में दिन-दु:खिया से लेकर गाँव के लोग तथा जाति-बिरादरी के लोग भी भोज खाये और उनके पुर्नजन्म के कामना किये। इस तरह हमारे परिवार में एक युग का अंत हुआ।

इस तरह सन् 2005 मेरे पूरे परिवार के लिये एक ऐसा दु:ख भरा साल था जिसका अंत एक आदमी की जान लेकर ही खत्म हुआ। जीवन में बहुत सारी कठिनाई का सामना हमने किया है किन्तु ऐसी विपति का कहर हमने पहली बार देखा है। भगवान न करे किसी को ऐसा दिन देखने को मिले। पुन: भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे! भगवान आनेवाला कल हमारे परिवार के लिये शांति और सुखमय हो। यही हमारी और हमारे परिवार के तरफ से हार्दिक कामना है।

भारतीय किसान

बारिश की पहली बूंद गिरी, जब धरती के सुखे अधरों पर।
मिट्टी की सौंधी खुशबु से, उल्लास भरा तब तिमिर में।।

जीवन की नई अभिलाषा में, बीते दुःखों को विस्मृत करके।
मन में नया उल्लास लिए, नवजीवन का प्रकाश लिए।।

निज दुःख को विस्मृत करके, पर दुःख को अपना करके।
औरों को भूख मिटाने का, धरती के ये लाल चले।।

औरों की जीवन आशा में, निज जीवन का बलिदान किया।
नहीं कभी क्षुधा की तृप्ति हुई, पर मन ही मन प्रसन्न रहा।।

धरती के इस अनमोल रतन का, कभी नहीं सम्मान हुआ।
कभी खुदखुशी, कभी आत्मदाह, ये इनका इतिहास रहा।।

बारिश की पहली बूंद गिरी, जब धरती के सुखे अधरों पर।
मन विचलित, तन नग्न, मुस्कान समायी उन सुखे अधरों पर।।

बैरिस्टर राम
पर्यवेक्षक

गरीबी

''वास्तव में गरीबी अभिशाप है और यह मानव को कठोर से कठोर और खराब से खराब कृत्य करने को बाध्य कर सकती है। जीवन की रक्षा के लिए गरीब लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गरीबी के कारण व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है और जब सही और उचित तथा समाज द्वारा स्वीकृत पद्धतियों के द्वारा वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल हो जाता है तो अनुचित, अस्वीकृत और समाज विरोधी, दूसरे शब्दों में अपराधि कार्यों के माध्यम से इनकी पूर्ति करने की चेष्टा करता है। जब किसी व्यक्ति के परिवार के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में उसके समाने व्याकुल दिखाई देते है, तो किसी भी सचरित्र, ईमानदार और सरल व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, उसको समस्त समाजिक मान्यतायें कृत्रिम बेड़ियाँ प्रतित होने लगती है और वह उन्हें तोड़कर एक उन्मुक्त व्यक्ति के रुप में कार्य करना चाहता हैं। अपनी निविड़ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह उन्मात् की भाँति औचियानोचित्य का विवेक त्याग कर चाहे कुछ, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। गरीबी वास्तव में दुःख भी है, अभिशाप भी और अपराधों की जननी भी है''।

तुमसे मिलके

संजीव कुमार
स.लेखापरीक्षा अधिकारी

तुमसे मिलके इस दिल को राहत मिलती है,
तुमसे मिलके इस दिल में चाहत बढ़ती है,
बड़ा नाजुक है दिल मेरा ना तोड़ो इसको,
तुमसे मिलके इस दिल को जन्नत मिलती है।

ना मिलूँ तुमसे तो बढ़ती है बेताबी दिल की,
गर मिलूँ तुमसे तो बढ़ती है बेताबी दिल की,
क्या करूँ ऐसे में जाना, आके नसीहत दे मुझको,
तन्हा ना कर, इक प्यार की झलक दे दे मुझको।

तेरे आने से बागों में बहारें आई,
तुझे देखकर ये शौक कलियाँ मुस्काई,
बंद ये दिल मेरा, तुझे देख धड़कना चाहे,
तेरे आने से मेरी जाँ में यूँ जाँ आई।

खुदा ने एक ही दिल दिया था मुझको ऐ हसीन,
चल रखले इसे अब तो करके यकीन,
मैं हूँ तेरा और तेरा ही रहूँगा दिलवर,
बाँट लेंगे हम हर पल, चाहे गम हो या खुशी।

दीपक कुमार
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
निवासी लेखापरीक्षा कार्यालय
बोकारो स्टील प्लान्ट, बोकारो

ऐसा भी होता है।

गोद में बच्चा लिए व हाथ में झोला लटकाए एक ग्रामिण महिला बस में चढ़ी, सीट खाली नहीं देख एकदम से वह निराश हो गयी, फिर भी जैसा कि बस में चढ़ने वाला हर यात्री सोचता है कि शायद किसी सीट पर अटकने की जगह मिल जए, वह भी पीछे की ओर चली, तभी उसकी नजर एक सीट पर पड़ी, उस पर केवल एक युवक बैठा हुआ था, आँखों में संतोष की चमक आ गई, पास जाने पर जब उस पर कोई कपड़ा या कुछ सामान नहीं दिखाई दिया तो उसने धम्म से शरीर को सीट पर छोड़ दिया।

अरे रे! क्या कर रही हो, यहाँ सवारी आएगी। युवक ने बड़े ही कड़े भाव से कहा।

आँखों में उभरी चमक घुप्प से गायब हो गई, आगे और सीट देखने की हिम्मत उसमें ना रही और वह वहीं सीटों के बीच गैलरी में बैठ गई। इसके बाद खाली सीट को देखकर कई बार आँखों में चमक आती रही और बुझती रही। तभी एक युवती बस में चढ़ी, जो शायद कॉलेज के लिए निकली होगी। अन्य लोगों को खड़ा देख उसने समझ लिया कि वह सीट (जिस के पास युवक बैठा हुआ था) खाली नहीं है, कोई आएगा, नीचे गया होगा, टिकट या फिर कुछ लेने, और वह भी खड़ी हो गई उस महिला के पास।

बैठ जाइए ना। यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसा युवक ने संबोधित किया।

इस आवाज पर युवती ने मुड़कर देखा तो युवक उनसे ही मुखतिब था, उसने आश्चर्य से पुछा कोई नहीं आएगा?

जी नहीं, युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।

इस पर युवती मुड़ी और नीचे बैठी उस बच्चे वाली महिला को वहाँ बैठा दिया। अब युवक का चेहरा देखने लायक था। वह युवती को खा जानेवाली नजरों से देख रहा था।

संजीव कुमार
स.लेखापरीक्षा अधिकारी

टूटे हुए जज्बात.....

मेरी मोहब्बत को नाम दे गया कोई।
इक हकीकत बदनाम कर गया कोई।।

रिश्ते तोड़ के सोये चैन से वो तमाम रातें।
हमारी रातों को चिरागों से जला गया कोई।।

चेहरें पे रौनक लबों पे हँसी है, उनके।
कत्ल करके अरमानों का, बहारों में चला गया कोई।।

मेरी खामोशी ही मेरी सजा बनके रह गयी।
मेरी जिंदगी को काँटो से सजा गया कोई।।

पल भर को भी न आयी उनको मेरी याद।
दिल पर ऐसा खंजर चला गया कोई।।

नजरें ढूढें रास्ता उन तक पहुँचने का।
पर मेरी पलकों को अश्कों से भिगा गया कोई।।

तीसरी कसम

बैरिस्टर राम
पर्यवेक्षक

मनुष्य जब तक किसी चीज से अनजान और अनभिज्ञ रहता है तो वह यह जानने का प्रयास करता है कि आखिर ये है क्या चीज? जब तक उसका पता नहीं चल जाता वह निरंतर उसको जानने का प्रयास करते रहता है। वह अंजाने में शिकार भी हो जाता है। जानने के प्रयास में वह अपनी जिन्दगी को ऐसे गर्त में ढकेल देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से कोई निकल भी जाता है तो समझिए उसकी जिन्दगी त्यागी और तपस्वी की तरह आग में तपा हुआ सोना बन जाता है जो एक इन्सान का रुप ले लेता है। ऐसे ही कुछ तथ्यों पर आधारित आप-बीती कहानी है जो सबका रस्वादन करके उस सदा-सदा के लिये तौबा कर देता है और आम जिन्दगी जीने पर आतुर हो जाता है।

बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र आठ से दस साल की रही होगी। मैं अकसरहा अपनी बड़ी बहन के ससुराल जाय करता था। वहाँ का वातावरण हमारे गाँव से बिल्कुल अलग था। वहाँ हमारे उम्र के दस-बारह लड़के थे। वहाँ जाने के बा हमलोंगो की एक मित्र मंडली बन जाती थी। दिन भर खेल-कुद और बारी-बगीचा में बीत जाता था। शाम को खाना खाने व बाद मित्र मंडली गाँव से बाहर निकल जाती थी और वहीं पर चोरी-चुपके बीड़ी सुलगाया जाता था और बारी-बारी से स कस लगाते थे। मुझे भी कई बार बाध्य किया गया कि आप भी कस लगाइये किन्तु मैं डरा-डरा सा रहता था। बाद में मजबु होकर मैं भी एक दो कस लगाने लगा। किन्तु गांव आने के बाद मैं भूल जाता था। पर बहन के यहाँ जाने के बाद फि सिल-सिला शुरु हो जाता था।

आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि मैं एक बार बहन के घर जा रहा था तो ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले बीड़ी का मूठा और एक टेका सलाई खरीदा। उस समय हमारे इलाके में बालक बीड़ी का प्रचलन था। मुझे याद है वो दि जब मैं स्टेशन से उतरकर बहन के घर जा रहा था तो बीच में एक मिडिल स्कूल पड़ता था वहीं कुछ देर के जिस आरा करने ठहर गया। चूकि गर्मी का दिन था। गर्मी काफी तेज थी। आराम करने के बाद चापाकल से पानी पिया। मैंने सोचा यह मौका है क्यों न हम एक बीड़ी सुलगा लें। सुनकर आपको विश्वास न होगा एक बीड़ी को सुलगाने में करीब बीस काट बर्बाद हुआ। सोच लीजिए कि मैं कैसा बीड़ी पीने का शौकीन था। खैर, यह लत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी।

सन् 1974 की बात है उन दिनों मैं मैट्रिक का परीक्षार्थी था। परीक्षा देने जिला मुख्यालय गया था। चूँकि वहीं मे परीक्षा केन्द्र था। उसी समय जिला स्तर पर स्वामी दयानन्द सरस्वती विद्यालय डी.ए.वी. में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम च रहा था। जिसमें जिले भर के सारे स्कूल के बच्चे भाग लिये थे। बचपन की आदत बनी हुई थी नाच-गाना, नाटक देखने क मेरे एक साथी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने की उत्सुकता दिखाई मैंने भी उसमें हामी भर दी और हम दोनों एक साथ लिये और देखने चल पड़े।

वहाँ पर्दे पर एक **Documentry film** दिखाई जा रही थी, उस कहानी का सारांश ये था जिसमें दो साथी घर निकलते हैं दोनों के पास पैसे हैं। एक जीभ का चटकार और खाने पीने का शौकीन है वह जहाँ भी जाता है खाने-पीने पर द

जाता है। दूसरा नशा का आदी है जहाँ भी जाता है बीड़ी, खैनी, सिगरेट का सेवन करता है। एक दिन दोनों के खून कि जाँच की जाती है। जाँच से पता चलता है कि पहला वाला साथी का खून एक दम लाल है और दूसरे साथी जो बीड़ी, सिगरेट, खैनी का सेवन करता है उसका खून काला और पतला भी है। उसी दिन से मेरे मानस पटल पर यह बात घर कर गई कि बीड़ी पीना हानिकारक है। उसी दिन मैं पहली कसम खाई कि मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पिउंगा। बस, मैं आजतक बीड़ी का सेवन दुबारा नहीं कर सका।

अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी कसम तो खा ली लेकिन इसका दूसरा विकल्प क्या है। दूसरे दिन से छुप-छुप कर मैं बाजार जाता और एक सिगरेट खरीदता। उस समय एक सिगरेट का दाम मात्र पाँच पैसा था। उस समय नम्बर 10 (टेन) और पनामा सिगरेट का प्रचलन था। अब आप पूछेगें कि बीड़ी छोड़कर सिगरेट क्यों पीना शुरु किया तो मेरे तरफ से मेरे मन की जो उपज थी यह थी कि एक मूठा बीड़ी का दाम 25 पैसे होते हैं जबकि एक सिगरेट का दाम मात्र पाँच पैसे। इस तरह से हमें पैसे की बचत होती थी। दूसरा कारण ये था कि एक सिगरेट को मैं दो टुकड़े करता उसमें एक टुकड़े को सुबह और दूसरे टुकड़े शाम को पीता था। इस तरह इसमें भी मुझे सेहत के हिसाब से अच्छा लगा क्योंकि एक मूठा में 25 बीड़ीयां होती थी उसे पच्चीस बार पीना पड़ता। इसलिये मैं सिगरेट पीना शुरु किया।

जब मैं service में आया तो सिगरेट पीने का सिल-सिला कायम रखा। नौकरी में आने के बाद आदमी का रहन-सहन, खान-पान, सर-समाज सब में परिवर्तन आ जाता है, हुआ भी यही। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। अब No. 10 और Panama के जगह Wills Filter का प्रयोग होने लगा। होगा भी क्यों नहीं मैं अब सरकारी कर्मचारी जो ठहरा। मैं अगस्त 1981 में लेखापरीक्षक के रुप योगदान दिया और 1982-83 से इकाई (unit) कार्यालयों में अंकेक्षण के दौरान दौरा पर जाने लगा। अब स्थिति ये हो गई कि जो भी मैं सिगरेट छुप-छुप पर पीता था अब वह खुले-आम हो गया। अब एक के जगह पाँच सिगरेट पीना शुरु कर दिया। चूकि वहाँ घर का कोई सदस्य देखने वाला नहीं था। किन्तु बराबर इस बात का भय बना रहता था कि कीं मेरा Boss देख ना ले। सिगरेट पीने का सिल-सिला चलता रहा जिसके चलते सिगरेट का consumption और भी बढ़ गया। परन्तु यह बात मुझे बराबर सताया करती थी कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है"।

एक बार की बात है मैं Audit Party के साथ दौरा से लौट रहा था। संयोग वश मेरा सिगरेट राँची और मूरी स्टेशन के बीच खत्म हो गया। सिगरेट के बिना मैं काफी बेचैन हो गया ऐसी स्थिति आ गई कि चलती ट्रेन में सिगरेट लाउँ कहाँ से। आदत से मजबुर मै अपने ही Team के एक अधिकारी से सिगरेट मांगा। उन्होंने देने से इंकार किया और साथ ही साथ ये भी कह डाले कि सिगरेट पीने का यदि शौक ही है तो खरीद कर पीयो। मरता क्या न करता, मेरे पास चलती ट्रेन में कोई चारा नहीं था। क्योंकि उस समय सिगरेट बेचने वालों पर प्रतिबंध था। ये बात करीब 1986-87 की है। मैं उसी समय भीष्म पितामह जैसा संकल्प लिया कि मैं आज के बाद जीवन भर सिगरेट नहीं पीउँगा। ये मेरी दूसरी कसम थी। आज करीब तीस वर्ष गुजर गये मैं आजतक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया।

नशा करने वालों को दूसरा विकल्प ढूढँना पड़ता है। बीड़ी और सिगरेट त्यागने के बाद पान का उपयोग ज्यादा होने

लगा। चूँकि पान खाने का लत कॉलेज में आने के बाद लग गई थी। मैं जहाँ कही भी जाता पहले पता लगाता कि पान कह मिलेगा। कार्यालय के अगल-बगल पान की गुमटी तो रहती ही है। मैं कार्यालय के लिये सुबह 9 बजे निकलता तो रास्ते में ज पान की गुमटी थी वहाँ से पान खाता भी और बंधवा भी लेता। बाकि दोपहर शाम को कार्यालय के बगल में पान खा लेत पान खाने का जो सिलसिला था नियमित था। यहाँ तक कि जब मैं शाम को घर लौटता तो अपने आवश्यकतानुसार पान बंधव लेता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रात को खाना-खाने के बाद 10 से 11 बजे रात में भी पान के टोह में बाहर निक जाता आदत जो बनी हुई थी।

बात 27 फरवरी, 2004 की है जब मैं अंतिम बार पान खाया था। ठीक उसी शाम अचानक मेरी तबीयत खराब गई। मैं एक सप्ताह बिमारी से ग्रसित रहा। बिमारी से निजात पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सारी बिमारियों का जड़ है पा इससे दाँत खराब होता है। जब दाँत खराब होता है तो पाचन क्रिया भी गतिशील नहीं रहती है। जब पाचन क्रिया ही खराब जाएगी तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो तरह-तरह की बिमारियाँ होगी ही। दूसरी बात यह भी कि अपने Boss के पास पान खाकर जाने में शर्म लगती थी। बात करना भी आदमी मुनासिब नहीं समझता था। पान खाने जितने अवगुण थे सब मानस पटल पर कौंध गया और मैं उसी समय तीसरी कसम खाई कि मैं जीवन भर कभी भी पान न खाऊँगा।

एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद मैंने तीसरी कसमें खाई और आज तक निभा रहा हूँ। हमें आशा ही न विश्वास है कि मैं आगे भविष्य में भी निभाता रहूँगा।

मैं सोचता हूँ अगर हमारे ही तरह हरेक इन्सान नशा छोड़ दे, तो स्वत: ही इन्सान को नशा से मुक्ति मिल जायेगी अ तरह-तरह की होने वाली बिमारियों से इन्सान को छुटकारा मिल जायेगा। आदमी अच्छी जिन्दगी का शुरुआत करेगा। मैं विश्व को यह संदेश देना चहता हूँ कि अगर इन्सान के मन में नशा से विरक्ति हो जाय तो नशा मुक्ति आन्दोलन चलाने आवश्यकता नहीं रहेगी और स्वत: आदमी नशा मुक्त हो जायेगा। नशा से सम्बंधित जितनी कुरीतियाँ हैं अपने आप समाप्त जायेगी। नशा कुरीतियों का जड़ है आदमी को चाहिए कि इससे दूर ही रहें।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का हृदय परिवर्तन होना जरुरी है, जबतक मनुष्य का हृदय परिवर्तन न होगा तब तक मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। अत: आज और अभी से हम यह प्रण लें कि आज के बाद नशा का से जीवन भर नहीं करेंगें तो इसका फल हमारे अनुकूल ही होगा।

ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित आप बीती कहानी हैं। इस घटना के पात्र काल्पनिक नहीं असली है।

सिमटते परिवार

संजीव कुमार
स.लेखापरीक्षा अधिकारी

सिमटते जा रहे हैं, सब परिवार।
अपनी ही दुनियां में रहते हैं, ये परिवार।।
मम्मी-पापा और उनके एक या दो बच्चे।
बस इतने ही लोग लगते हैं, इनको अच्छे।।
अब तो बहुत कम घरों में दिखती है दादी और नानी।
तो बच्चे अब भला किससे सुने कहानी।।
दो दिन के लिए आया हुआ मेहमान हो जाता है भारी।
क्योंकि उनके लिए करनी पड़ती है, अलग से तैयारी।।
पहले छुट्टियों में आती थी मौसी, बुआ और ताई।
घरों में खूब बनती थी मढ़री और मिठाई।।
अब छुट्टियाँ पहाड़ो पर मनती है।
मौसी, बुआ और चाची सब ऑनलाईन मिलती है।।
आज हम बच्चों को अपने जमाने की बातें बताते हैं।
तो वे आँखे फाड़े आश्चर्य दिखाते हैं।।
आज के बच्चों के साथी हैं टी.वी. और कंप्यूटर।
नई पीढ़ी की बस इसी ओर है, डगर।।
जिस संयुक्त परिवार के लिए हमारा देश था, मशहूर।
उसी से हम सब होते जा रहे हैं, दूर।।
हमें ही करना होगा, इसे सुधार का प्रयास।
सभी रिश्ते आस-पास हो, तो परिवार बनता है खास।।

सच्ची मैत्री

धर्म का मूल अर्थ मैत्री है।

वह मैत्री जगत के सर्व जीवों के साथ होनी चाहिए।

वह मैत्री दूध और पानी की तरह होनी चाहिए।

दूध में पानी का मिश्रण करने पर दूध अपने समस्त गुण पानी को दे देता है।

और दूध को जब उबाला जाता है तब पानी स्वयं जलने के लिए तैयार हो जाता है।

मैत्री अर्थात् दूसरे के हित की चिंता करना,

और उस दु:ख निवारण के लिए अपने शक्ति का सदुपयोग करना।

मैत्री एक खुबसुरत जिम्मेवारी है।

ये कोई अवसर या मौका नहीं है।

प्यार और शक के बीच मैत्री कभी मुमकिन नहीं है।

जहाँ प्यार वहाँ शक नहीं होनी चाहिए।

श्री राजुल कुमार दत्ता
व.लेखापरीक्षा अधिकारी
बी.एस.पी., भिलाई

आक्षेप

[कवि अपनी माँ पर आरोप लगा रहे हैं कि क्यों उनकी मृत्यु कवि के जन्म के समय ही हो गई और वह कवि को इस दुनिया में छोड़कर चली गई]

जीवन का अवसान आया,
आया पल विदाई का।
क्या पाया, क्या न पाया,
इसका हिसाब मिलाने का।

जन्म के समय और कोई नहीं,
संग मेरे थी सिर्फ तुम्हीं।
परंतु चक्षु-ज्योति जलने से पहले ही,
खो दिया मैंने उसे भी।

आये इस बीच जीवन में कितने ही,
स्वजन-प्रियजन थे जितने भी।
परंतु उफ! उनकी सहानुभूति और दया,
हाय! इसी ने तो मुझे कंगाल किया।

उस पार से हाथ बढ़ाकर,
स्नेह-सुधा से प्राण भरकर।
तुम क्यों नहीं आई माँ?
मिटाने मेरे दुख की निशा।

यों तो जिंदगी में आया सुदिन,
फिर भी जैसे बिखर रहा है जीवन।
संबल के लिए मैं तुम्हें पुकारता,
लेकिन शायद मेरी पुकार में ही है अपूर्णता।
अन्यथा अवश्य मुझे तुम सहारा देती,
निश्चित ही मुझे गोद में लेती।
न पाने पर मुझे, क्रंदन करते बैठी रहती,
कहाँ है पुत्र मेरा? -सबसे यही पूछती।

सभी बधाओं को तुच्छ करता,
सभी व्यथा को हूँ भूल सकता।
पार कर सकता मैं जग-वैतरणी,
माँ, यदि तुम होती मेरे साथ खड़ी।

न हो कोई मृत्यु अकाल,
हम पूर्ण कर सकें जीवन के अरमान।
तुम्हें दिये वचन को रखने,
हे माँ!, तुम्हें साथ रहना होगा मेरे।

[मूल बंगला कविता : श्री पी.के. नस्कर, पूर्व उप निदेशक, भिलाई,
हिंदी अनुवाद : श्री राजुल कुमार दत्ता
व. लेखापरीक्षा अधिकारी

जितेन्द्र कुमार वर्मा
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
बी.एस.पी. भिलाई

मेरा गाँव

प्रकृति की गोद में मेरा गाँव है,

जहाँ शीतल छाँव है,

नदी की धारा की कलकल है,

जलधारा जिसकी अविरल है,

वृक्षों से बहती सलिल है,

जो शीतल निर्मल है,

वहां न बैर न जातपात है,

आज भी मेरा गाँव खुशहाल है,

प्रकृति की गोद में मेरा गाँव है,

जहाँ शीतल छाँव हैं।

प्रेशर का जोर

श्री राजुल कुमार दत्ता
व.लेखापरीक्षा अधिकारी
बी.एस.पी./भिलाई

''सर, सद्भाव दिवस के शपथ लेने का समय हो गया है। सभी लोग हॉल में आ गए हैं,'' सांडे जी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुये घोरमुख साहब को याद दिलाने के साथ ही शपथ-ग्रहण के लिए आने का न्यौता भी दिया। साहब किसी गहरी सोच में डूबे हुये थे। सांडे जी की फरमान सुनकर काफी अनमने से उठे, हाथ में मोबाइल लिया और घड़ी देखते हुये ऑफिस के हॉल की ओर बढ़ चले। हॉल में सभी लोग घोरमुख साहब की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक उड़ती हुई नजर सभी उपस्थित लोगों पर डाली। फिर मानों उनके दोनों हाथ अपने-आप ही ऊपर की ओर उठ गए।

''बहुत प्रेशर आता है'', उन्होंने काफी दर्द-भरी आवाज में कहा। ''अरे भाई, जल्दी कीजिये न। बहुत प्रेशर आता है,'' उन्होंने स्वतर्पण साहब की ओर देखते हुए आदेश दिया और अपने लिए निर्धारित जगह पर खड़े हो गए।

स्वतर्पण साहब ने तुरंत उनकी ओर शपथ-ग्रहण का कागज बढ़ा दिया। घोरमुख साहब ने शपथ पढ़ना शुरु किया। अभी उन्होंने दो-चार शब्द ही पढ़े थे कि बगल में खड़े फाजुल साहब ने उन्हें टोक दिया, ''सर, हिंदी में पढ़िये''।

''लेकिन मुझे हिंदी ठीक से पढ़नी नहीं आती,'' घोरमुख साहब ने मजबूरी बताई।

''कोई बात नहीं सर। मुझे दीजिये, मैं पढ़ देता हूँ,'' फाजुल साहब ने समस्या का सामाधान करते हुये कहा। फिर फाजुल साहब ने शपथ पढ़ा और बाकी लोगों ने उसे दुहराया। शपथ-ग्रहण समारोह खत्म हुआ।

''इसका रिटर्न हेड ऑफिस भेज देना'', घोरमुख साहब ने स्वतर्पण साहब को निर्देश दिया।

घोरमुख साहब ने फिर से उड़ती नजर हॉल में उपस्थित लोगों पर डाली। लेकिन अब तो वे लोग भी साहब की कार्य-प्रणाली से अवगत हो चुके थे। सामने झनिल नजर तो आए लेकिन घोरमुख साहब जब तक कुछ कहते, वे तेजी से मस्तपाल के लंबे कद के पीछे ओझल हो चुके थे। मस्तपाल तो पहले ही मोबाइल को अपनी कान से लगाकर मानो किसी अर्जेंट विषय पर बात में लग गए थे और साथ ही चश्मे के पीछे उनकी आँखें भी ऊपर छत को ही निहार रही थी। घोरमुख साहब ने बाकी लोगों की ओर नजर घुमाई। लेकिन तब-तक अधिकांश लोग हॉल से निकल कर अपनी-अपनी सीट पर जा चुके थे। जो कुछ लोग रह गए थे, वे भी काफी दूर में खड़े थे। लेकिन तभी उन्हें ठीक बगल में खड़ा हेंदुराम दिख गये।

''हेंदुजी, बहुत प्रेशर आता है,'' घोरमुख साहब ने फिर अपनी व्यथा की गुहार लगाई और समर्थन में हेंदुराम को उन्होंने अपने गले से ही लगा लिया।

''जी सर'', हेंदुराम ने भी हाँ में हाँ मिलाई।

घोरमुख साहब भी अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गए और फिर से अपनी सोच में डूब गए। अब तो यह रोज की ही बात हो गई थी। घोरमुख साहब घोर चिंता में थे। पता नहीं इस ऑफिस का क्या होगा? मुझसे पहले भी तो लोग यहाँ पोस्टिंग में आए थे; लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय कितने इत्मिनान से गुजार दिया; ऑफिस के काम में उनकी ना तो कोई जिम्मेदारी रही ना ही कोई योगदान; फिर दो साल पूरा होते ही वे अपने होम-टाउन वापस भी चले गये। इन्हीं चिंता में बात करते-करते प्राय: विषय से काफी दूर चले जाते; कभी दोनों हथेलियों को नमाज पढ़ने की मुद्रा में चेहरे के सामने रखते; कभी हाथों को सिर से भी ऊपर तक ले जाकर इस तरह इशारा करते कि अब तो ऊपरवाले का

ही सहारा है; बरसात के समय जब बादल गरजते और बिजली कड़कती तो कवच के रूप में दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख लेते और उँगलियों की फाँक से छत की ओर देखते कि बिल्डिंग के ऊपर के और तीन मंजिलों को छोड़कर कहीं बिजली उन्हीं के सर पर तो गिरने नहीं आ रही। साँप फुफकारते वक्त हवा मुँह से बाहर की ओर फेंकता है। लेकिन साहब तो बीच-बीच में अपनी सित्कार को इस अदा से अंदर खींचते कि गर्दन के ऊपर का पूरा हिस्सा ही वाइब्रेटिंग मोड में आ जाता। कमरे के किसी भी कोने में खड़े हों, रिंग होने पर साहब फोन ऐसे झपटकर उठाते कि इसमें दूसरा रिंग होने का मौका ही नहीं मिलता, फिर भले ही उसपर फैक्स ही क्यों न आ रहा हो।

तभी कमरे का दरवाजा खुला। ''क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?'', दरवाजे पर चित्कार साहब खड़े थे। घोरमुख साहब का ध्यान टूटा। ''हाँ हाँ, अरे आइये आइये न'', उन्होंने चित्कार साहब को अनुमति दी।

इस ऑफिस में चित्कार साहब एक विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। गौर-वर्ण, चमकता चेहरा, प्रवचन देने की अतुलनीय क्षमता, अलौकिक शक्ति के स्वामी होने का भ्रामक प्रचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में महारत हासिल होने का दावा, अंग्रेजी भाषा के चलते-फिरते ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज। उनके मुखारविंद से जब शब्द झरते तो सामने वाला तो जैसे मदहोश ही हो जाता है। वह विश्वास करने को मजबूर हो जाता है कि चित्कार साहब का कथन ही विश्व का ध्रुव सत्य है। लगता है कि यह व्यक्ति तो साक्षात देवदूत है, शायद किसी गलती से ही मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा है।

''सर सर आजकल आप कुछ परेशान लग रहे हैं'' चित्कार साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा।

हाँ, बहुत प्रेशर आता है'' घोरमुख साहब ने अपने दोनों हाथ थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा।

''सर लेकिन इसका तो बहुत आसान उपाय है'', चित्कार साहब ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा।

''अच्छा? क्या है उपाय'' घोरमुख साहब ने उतेजित होते हुए पूछा।

''सर, आपके कमरे में तो अटेच्ड टॉयलेट है। जाइए और फ्रेश हो आइए'' चित्कार साहब ने उपाय बताया।

''अरे हाँ सच में तो'', घोरमुख साहब खुशी से मानो उछल पड़े। ''इतना आसान उपाय मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? उन्होंने फिर सोचा। ''खैर, देर आये, दुरुस्त आये'', उन्होंने खुद को सांत्वना दी।

चित्कार साहब कुछ देर बैठकर और कुछ बात-चीत कर चले गए। घोरमुख साहब ने सोचा कि आज चित्कार साहब के बताए हुए उपाय को आजमा ही लूँ। कुर्सी से उठकर वे टॉयलेट की ओर गए। इसका दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने कुंडी पर हाथ रखा ही था कि कमरे का दरवाजा फिर से खुला। इस बार स्वतर्पण साहब कमरे में मौजूद थे।

''सर, क्या कर रहे हैं? स्वतर्पण साहब ने पूछा। ''बहुत प्रेशर आता है'', घोरमुख साहब ने फिर से दुहराया। फिर उन्होंने स्वतर्पण साहब को चित्कार साहब के बताए गए निराकरण की जानकारी दी और यह भी बताया कि वे इस उपाय को अमलीजामा पहनाने बस जा ही रहे थे। उन्होंने टॉयलेट का दरवाजा खोलने के लिए फिर से हाथ बढ़ाया।

''सर, ऐसा नहीं होता है'', तभी स्वतर्पण साहब ने काफी गंभीर और चेतावनी भरे स्वर में कहा- ''ऐसा नहीं होता है। क्या मतलब है तुम्हारा?''घोरमुख साहब ने डरते हुये पूछा लेकिन इसके बाद उन दोनों में क्या बात हुई, यह आजतक कोई नहीं जाना पाया। यह भी नहीं पता कि घोरमुख साहब चित्कार साहब के बताए रामबाण को आजमा पाये या नहीं। लेकिन यह तो निश्चित है कि प्रेशर तो आज भी वैसा ही बना हुआ है, जस का तस।

बचा ही क्या है?

संजीव कुमार
स.लेखापरीक्षा अधिकारी

मंदिर मस्जिद चर्च गुरूद्वारे दूर हो गए,
होटल डिस्को बार सब पास हो गए,
क्या रखा है अब चौका-चूल्हा चलाने में,
बचा ही क्या है अब ज़माने में।

वेतन बैंक में जाए,
रिश्वत घर में काम चलाए,
क्या रखा है अब डरने और डराने में,
बचा ही क्या है अब ज़माने में।

जिस्म नुमाइश की होड़ में,
फैशन के दौर में,
क्या रखा है अब कपड़े सिलवाने में,
बचा ही क्या है अब ज़माने में।

जब तोड़ ही दी सारी मर्यादाएं,
लाँघ ही दी सारी सीमाएँ,
फिर क्या रखा है अब शर्माने में,
बचा ही क्या है अब ज़माने में।
बोतल टूट गई, मदिरा रूठ गई,
सूनी है प्याली, पर्स है खाली,
क्या रखा है अब मैखाने में,
बचा ही क्या है अब ज़माने में।

सीमित परिवार हो गये,
रिश्ते माँ-बाप के बेकार हो गए,
क्या रखा है अब संतान बनाने में,
बचा ही क्या है अब ज़माने में।

दार्जिलिंग

बी.निधि

दूर एक बादल नज़र आया था.....
जैसे कह रहा हो.... आज तुम मुझसे ऊपर कैसे.....
वो जलेबियों से सीधे रास्ते.....
पर किसी दुकान में जलेबी नहीं बिकती वहां.....

किसने सोचा होगा दुनिया से इतनी दूर घर बसाने का.....
किसने काटी होगी वो सड़कें.....
ठंड तो ऐसी जैसे हमेशा के लिये ठिकाना बना लिया हो उसने.....
पर वो धूप भी तो थी..... सुबहों की धूल से अनछुई.....
मानो रूह को छूने निकली थी आज.....

गरम चाय की चुस्कीयां और मोमो.....
जैसे पहचान हो वहाँ की.....

हमेशा मुस्काते लोग.....
जैसे पहाड़ों पे चढ़ना तो खेल ही है.....
वो चाय की टोकरियाँ..... और हर तरफ उनके बगान.....
जैसे पुकार रहे हों हम अजनबियों को.....
उन पत्तियों..... उनकी खुश्बू से वाकिफ होने.....

आज उन तस्वीरों को देखती हूँ जब.....
सब याद आता है.....
वो फ़िल्मी पत्ते पेड़ों पर.... वो बर्फीले पहाड़.....
वो हाथ पकड़ कर चलाना.... वो गाने जो गाड़ी में बजते थे.....
दार्जिलिंग याद आता है.....

भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार

ऋचा पल्लवी
W/o चंदन कुमार, म.प्र.प्र.अ.

भारतीय लोकतंत्र विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसका साक्ष्य भारत की प्राचीन इतिहास हमें देती है। वास्तव में लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है। तभी तो विश्व के कुल 196 देशों में से लगभग 123 देश इसे अपनाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब यह इतनी पुरानी व्यवस्था है तो इसमें कुछ न कुछ कमी आ जाना स्वाभाविक है। जिसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज सबसे बड़ी कमी भ्रष्टाचार है।

भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति के अंदर बहुचर्चित विषय बन गया है। आज सीधा सादा दबा हुआ व्यक्ति भी उसकी बात करके कटुता से भर जाता है। यह एक घातक बीमारी के शिकंजे में फंसे ''मरणासन्न समाज'' का लक्ष्य है। आज ये एक तथ्य है कि ''हमारे देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार'' भारतीय लोकतंत्र तथा प्रशासन के उदर में नासूर है। पद प्राप्ति तथा राजनीतिक पहुंच के अंधी दौर ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को बहुत ही बढ़ावा दिया है। अब इसे लाईलाज कैंसर के समान मान लिया गया है।

''कौटिल्य'' ने अपनी पुस्तक ''अर्थशास्त्र'' में भ्रष्टाचार के 40 तौर तरीकों का उल्लेख किया है।

जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असंभव है। उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंग का भक्षण न करना असंभव है। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ ही ''भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ आचरण'' है। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में भ्रष्टाचार को परिभाषित कर कहा गया है कि ''जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए भी या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए पारिश्रमिक से अधिक कोई घुस लेता है या स्वीकार करता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है या प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधानमंडल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास का दंड या अर्थ दण्ड दोनों दिया जा सकता है।''

प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई कारण है- भ्रष्टाचार ब्रिटिश विरासत, प्रशासन का विस्तार, नैतिक मूल्यों का ह्रास, वेतनों में विषमता, लालफीताशाही, निर्वाचन में पार्टी फंड, दुर्बल नियंत्रण प्रणाली, पुलिस की निष्क्रियता, नौकरशाही का विलासी जीवन।

आज हमारा देश भ्रष्टाचार के सूचकांक में ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल के अनुसार वर्ष 2016 में 76 वें पायदान पर है कुल 168 देशों की सूची में और कुल 544 सांसदों में 449 अधिकृत रूप से करोड़पति है 16वीं लोकसभा 2014 के अनुसार। एक आंकड़ा के अनुसार किसी भी चुनाव में एक करोड़पति उम्मीदवार की जीत की संभावना दस गुणा ज्यादा

होती है उस उम्मीदवार की तुलना में जो करोड़पति नहीं है। इसी से प्रजातंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की महत्ता को महसूस किया जा सकता है।

वैसे तो इस घातक बीमारी को दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं कमिटियों एवं आयोगों का गठन किया जाता रहा है जो कि काफी हद तक कारगर साबित तो नहीं हो पाया है जिसमें विभागीय नियंत्रण, कानूनी प्रावधान, 1964 के पूर्व व्यवस्था, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मंत्रालयों में सतर्कता आयोग, राज्यों में सतर्कता आयोग, लोकायुक्त आदि है। लेकिन ये सभी कुछ हद तक ही सफल रहे हैं। इस भारतीय लोकतांत्रिक प्रशासन में भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को उभरते हुए देख कर एक ऐसी प्रभावकारी मशीनरी की आवश्यकता है जो इसे दूर करने में कारगर हो। इसके लिए 18 दिसम्बर 2013 को संसद में पारित लोकपाल बिल भी तब तक कारगर सिद्ध नहीं होगा जब तक जनता पूर्णरूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी।

संघ की राजभाषा नीति-सारांश

- **राजभाषा से संबंधित सांविधानिक उपबन्ध :**

भारत के संविधान में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अलग-अलग उपबन्ध हैं:

(क) संघ की राजभाषा, (ख) संसद में कार्य संचालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा।

(ग) कानून बनाने के लिए और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई है कि ''संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी'' और ''संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा''

संसद मे प्रयुक्त की जाने वाली भाषा :

- संविधान के अनुच्छेद 120 (1) के अधीन संसद की कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में सम्पन्न होगी। इस बारे में यह भी उपबन्ध है कि सभापति या अध्यक्ष या उनकी जगह काम करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी सदस्य को, जो हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने भावों को ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

उसी अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन 26 जनवरी, 1965 में संसद की कार्यवाही केवल हिंदी (और विशेष मामलों में मातृभाषा) में ही निष्पादित होगी बशर्ते कि संसद विधि द्वारा कोई अन्यथा व्यवस्था न करे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अधीन 26 जनवरी 1965 से आगे संसद में कार्य निष्पादन के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का उपबन्ध किया गया है।

संसद के उन सदस्यों को, विशेषत: दक्षिणी राज्यों के सदस्यों को, जो हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने भाव अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें अपने भाव अभिव्यक्त करने तथा अन्य सदस्यों की सुविधा के लिए राज्य सभा और लोक सभा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम में दिए जाने वाले भाषणों के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अंग्रेजी में दिए गए भाषणों के साथ-साथ हिंदी में और हिंदी में दिए गए भाषणों के साथ-साथ अंग्रेजी में अनुवाद की व्यवस्था भी है।

हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

- अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना, संघ का कर्तव्य है।

- **हिन्दी के प्रयोग के विषय में राष्ट्रपति के आदेश**

(क) राष्ट्रपति का आदेश, 1952

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अधीन 27 मई, 1952 को आदेश जारी किया जिसमें (1) रा राज्यपालों (2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, तथा (3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति-अधिपत्रों के अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी और अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी के अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत किया-

(ख) राष्ट्रपति का आदेश, 1955

राष्ट्रपति ने "संविधान (सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा) आदेश 1955" नामक एक अन्य आदे जारी किया जिसमें संघ के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधि किया-

(i) जनता के साथ पत्र-व्यवहार।

(ii) प्रशासनिक रिपोर्टें, सरकारी पत्रिकाएं और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें।

(iii) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियमितियां।

(iv) जिन राज्य सरकारों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना लिया है उनके साथ पत्र-व्यवहार।

(v) संधियां और करार।

(vi) अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार।

(vii) राजनयिक तथा कांसुली अधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के प्रतिनिधियों को जारी कि वाले औपचारिक कागज।

(ग) राजभाषा आयोग

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अनुसरण में सन् 1955 में श्री बी0 जी0 खेर की अध्यक्षता में राजभाषा की नियुक्ति की गई। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड अनुसार लोकसभा से 20 और राज्य सभा से 10 सदस्यों की एक समिति तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ अध्यक्षता में गठित की गई। इस समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी, 1959 को प्रस्तुत की।

(घ) राष्ट्रपति का आदेश, 1960

संविधान के अनुच्छेद 344 खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने इस संसदीय सं रिपोर्ट पर विचार किया और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा प्रकट किए गए मंतव्य के संदर्भ में 27 1960 को एक आदेश पारित किया। इस आदेश में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्देश समाविष्ट हैं-

(i) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग स्थापि करना चाहिए।

(ii) शिक्षा मंत्रालय सांविधानिक नियमों, विनिमयों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्यविधि-साहित्य का अनुवाद हाथ में ले और भाषा में एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता की दृष्टि से यह काम केवल एक ही अधिकरण को सौंपा जाए।

(iii) एक मानक विधि शब्द कोष बनाने, हिंदी में विधि के पुनः अधिनियमन और विधि शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए।

हिंदी लिखते वक्त हिंदी लिखने की कोशिश करें, न तो संस्कृत और न देवनागरी लिपि में अंग्रेजी ही। कहने का मतलब यह है कि हिंदी का वाक्य-विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए और यह ठीक नहीं होगा कि यह संस्कृत के दुरूह समस्त पदों की लड़ी हो या अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद मात्र। अंग्रेजी में मसौदा लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद करने के बजाय बेहतर यह होगा कि मसौदा मूल रूप से ही हिंदी में तैयार किया जाए और वह भी हिंदी की प्रकृति के अनुसार। ऐसा करने से भाषा न सिर्फ स्वाभाविक होगी और उसमें रवानी आएगी, बल्कि बीच-बीच में नए या अनजाने शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद वह सहज ही सभी को समझ में आ सकेगी।

सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग।

केन्द्रीय सरकार सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी के स्वरूप के बारे में अपनी नीति कई बार स्पष्ट कर चुकी है। इसके बावजूद इस संबंध में भ्रम पूरी तरह दूर नहीं हो पाया है और लोगों के मन में यह विचार है कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी होती है। इसी कारण वे अपने कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं।

जैसा कि इसको पहले भी कई बार कहा जा चुका है, सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी सरल और सुबोध होनी चाहिए, जटिल और बोझिल नहीं। इस संबंध में नीचे लिखे मुद्दे को ध्यान में रखना उपयोगी होगा–

1. नोट लिखने या पत्र लिखने में सरल हिंदी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि लिखने वाला खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है, जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले की भी समझ में आ जाए कि आखिर लिखने वाला कहना क्या चाहता है।

2. सरकारी काम में आमफहम शब्दों का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए और लिखते वक्त दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उपयोग करने में, जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए।

3. जहाँ कहीं भी यह लगे कि पढ़ने वाले को हिंदी में लिखे किसी तकनीकी शब्द या पदनाम (डैज़िग्नेशन) को समझने में कठिनाई हो सकती है, वहाँ उस शब्द या पदनाम के सामने कोष्ठक में अंग्रेजी रूपान्तर भी लिख देना उपयोगी होगा।

जिन्हें अच्छी हिंदी आती है वे कभी-कभी उन लोगों की कठिनाई नहीं समझ पाते जिन्होंने अभी हाल में थोड़ी बहुत हिंदी सीखी है। ऐसे लोगों को इन नव शिक्षितों की कठिनाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने पांडित्य के प्रदर्शन का लाभ संवृत करना चाहिए।

आधुनिक यंत्रों, तरह-तरह के पुर्जों और नए जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी नाम प्रचलित हैं, उनका कृत्रिम अनुवाद करने के बजाय उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा। जैसे-जैसे लोग हिंदी में अधिक दक्ष होते जाएंगे, वैसे-वैसे एक स्वाभाविक प्रक्रम के अनुसार अधिकृत शब्द अपने आप प्रचलित होते चले जाएंगे।

सेवा-निवृत्ति

वर्ष 2014-2016 के दौरान सेवा-निवृत्त हुए हमारे कार्यालयी स्तम्भ :-

	नाम	पद	सेवा-निवृत्ति की तिथि
	सर्वश्री/श्री		
1.	सुकरात लकड़ा	लिपिक/टंकक	30-04-2014
2.	असिरूद्दीन अंसारी	वरीय लेखापरीक्षक	31-08-2014
3.	ओ.एन. तिवारी	वरीय लेखापरीक्षक	31-08-2014
4.	अमिताभ सिकदर	वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी	30-09-2014
5.	सुब्रतो सरकार	वरीय लेखापरीक्षक	31-10-2014
6.	आर.डी. डास	वरीय लेखापरीक्षक	31-01-2015
7.	बैरिस्टर राम	पर्यवेक्षक	30-11-2015
8.	के. एन. दास	पर्यवेक्षक	31-12-2015
9.	नंदन महतो	लिपिक/टंकक	31-03-2016

कार्यालयी कार्यों में अपने जीवन के अमूल्य पल व परिश्रम देने हेतु 'प्रमिलांचल' परिवार आपके सुखी जीवन की कामना करता है।

वर्ष 2015 में आयोजित भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों की सूची

दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	विजेताओं के नाम श्री/सर्वश्री
16.09.2015	हिंदी निबंध (अधिकारियों के लिए)	प्रथम : मदन मोहन मिश्रा, स.ले.प.अ. द्वितीय : संजीव कुमार, स.ले.प.अ. तृतीय : राजुल कु. दत्ता, व.ले.प.अ.
16.09.2015	हिंदी निबंध (कर्मचारियों के लिए)	प्रथम : मलय कुमार राणा, ले.प. द्वितीय : इरशाद आलम, ले.प. तृतीय : ज्योतिष कु. झा, ले.प.
16.09.2015	अनुवाद (कर्मचारियों के लिए)	प्रथम : राजेंद्र सिंह, व.ले.प. द्वितीय : मुरारी कुमार, डी.ई.ओ. तृतीय : संदीप कुमार, ले.प.
17.09.2015	टिप्पणी एवं प्रारूप (अधिकारियों के लिए)	प्रथम : जितेंद्र कुमार वर्मा, स.ले.प.अ. द्वितीय : विदित अग्रवाल, स.ले.प.अ. तृतीय : दिवेश साहु, स.ले.प.अ.
17.09.2015	टिप्पण एवं प्रारूप (कर्मचारियों के लिए)	प्रथम : पी.सी.एस. मुंडा, व.ले.प. द्वितीय : फुल्जेसिया एक्का, व.ले.प. तृतीय : संदीप कुमार चौधरी, ले.प.
22.09.2015	कविता/स्लोगन	प्रथम : संदीप टोप्पो, स.ले.प.अ. द्वितीय : मुकेश कुमार, स.ले.प.अ. तृतीय : मोहित, डी.ई.ओ.
23.09.2015	सुलेख (केवल एम.टी.एस के लिए)	प्रथम : उमेश कुमार, एम.टी.एस. द्वितीय : अमिताभ दास, एम.टी.एस. तृतीय : बुद्धिबल राणा, एम.टी.एस.
24.09.2015	वस्तुनिष्ठ प्रश्न	प्रथम : मदन मोहन मिश्रा, स.ले.प.अ. संगीता बर्णवाल, पी.सी.एस. मुण्डा द्वितीय: दिवेश साहु, स.ले.प.अ. माधुरी दत्ता, अब्दुल कलाम तृतीय : मुकेश कुमार, स.ले.प. एस.सेन, मुकेश होता
28.09.2015	हिंदी टंकण	प्रथम : कोलाय बाकिरा, व.ले.प. द्वितीय : पी.सी.एस. मुंडा, व.ले.प तृतीय : मुरारी कुमार, डी.ई.ओ.

एमएबी, राँची कार्यालय में राजभाषा पखवाडे में
उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण

आरएसपी, राउरकेला इकाई कार्यालय में राजभाषा निरीक्षण के
दौरान उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण

नराकास, दुर्ग-भिलाई द्वारा इकाई कार्यालय को उत्कृष्टता पुरस्कार

श्री बी. मांझी, वरीय लेखापरीक्षक की स्वैक्षिक सेवा निवृति

बीएसपी, भिलाई इकाई कार्यालय में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का दृश्य

बीएसएल, बोकारो इकाई कार्यालय में पदस्थापित श्री महताब आलम,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी का विदाई समारोह

Printed by: Akash Press, Ranchi, Mob: 9304077338